BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 602/2022

IN THE MATTER OF:
UTKARSH SINGH CHAUHAN

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PARDESH & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER BY THIS HON'BLE TRIBUNAL DATED 08.08.2024	
2.	A COPY OF LETTER DATED 11.11.2024 IS ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE NO. 1**	
3.	THE UPDATED REPORT OF REGIONAL OFFICER, POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE NO. 2**	

THROUGH

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 16.11.2024

PLACE: New Delhi

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 602 of 2022

IN THE MATTER OF

Utkarsh Singh Chauhan ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. ...Respondents

AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW ,UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER BY THIS HON'BLE TRIBUNAL DATED 08.08.2024.

I Surya Pal Gangwar aged about 46 years, S/o Shri N L Gangwar, do hereby most solemnly state and affirm as under;

1. I am the District Magistrate, Lucknow,Uttar Pradesh and fully conversant with the facts and circumstances of the present case. I affirm that this Affidavit is being filed by the Deponent in compliance of order dated 08.08.2024 of this Hon'ble Tribunal.

2. That the Original Application was listed on 08.08.2024 for hearing before the Hon'ble Tribunal and on the said date, the Hon'ble Tribunal after considering the affidavit filed by the deponent passed an order dated 08.08.2024, the operative portion of which is quoted below for kind perusal of this Hon'ble Tribunal;

   "7. We find that substantial encroachment is still continuing and has not been removed.

   8. Supreme Court in Hinch Lal Tiwari Vs. Kamala Devi and Ors. (2001) 6 SCC 496, observed that no encroachment of pond or water body can be allowed and it is responsibility of the State Authorities to ensure restoration of ponds to their original condition.

   9. Therefore, removal of encroachment cannot be allowed to take a long time. District Magistrate is under obligation to take effective steps for removal of such encroachment.

   10. Moreover, responsibility for maintenance of water body is also a statutory obligation of District Magistrate being Chairman of District Wetland Committee as also Chairman of District Environment Committee.

   11. With regard to discharge of effluent in the pond, we find that same is being diverted to another drain which is ultimately meeting river side and, therefore, virtually untreated sewage is being discharged in river side which ultimately meets River Gomti. This is wholly impermissible and prohibited under Section 24 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

   12. Immediate steps shall be taken for treatment of effluent and no effluent untreated shall be allowed to be discharged in the river.

   13. District Magistrate submitted that all steps will be taken for remediation of pond on various aspects mentioned in the affidavit dated 07.08.2024, but he requests that some time may be allowed to him to achieve the target.

14. Let him take effective and remedial steps within three months and submit a Compliance Report.

15. List this matter for further consideration on 19.11.2024."

3. That it is pertinent to mention here that the matter in question for rejuvenation and development of the lake named 'Chande Baba Talab' situated in village Garhi-Chunoti, Lucknow, has been taken up with utmost sincerity and continuous, strenuous and meticulous efforts are being taken in order to ensure that diligent compliance is made to the order dated 08.08.2024 by this Hon'ble Tribunal.

4. That in compliance of the order dated 08.08.2024, the deponent sought the action taken report (ATR) from the concerned departments and the updated Action Taken Report (ATR) is as follows.

i. Removal of encroachment around the pond;- In compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal, the Sub Divisional Magistrate, Sarojini Nagar, Lucknow has taken the following action;

a. That in compliance of the order dated 08.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, the re-survey of the houses of the families residing on 3.1859 hectares out of the total area of 36.9090 hectares in Gata No.268 situated at Village Gadhi Chunauti was conducted. In the said survey, the total 115 houses/buildings were found constructed in which a total of 145 families are currently residing and against the owners of the said 115 houses, the eviction orders dated 30.04.2024, 03.09.2024 and 04.09.2024 have been passed by the Tehsildar (Judicial), Sarojini Nagar and Tehsildar Sarojini Nagar under section 67 of the U.P. Revenue Code, 2006 but as per the government order dated 19.10.2023, the families of the said houses can be evicted.

The Government order provides that "अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी गरीब व्यक्ति तथा अन्य भूमिहीन एवं निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न न होने पाये। यथा सम्भव उक्तवत वर्णित गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था किये जाने के बाद ही उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जाये।

It is further submitted that the poor, landless and scheduled caste people who fall within the ambit of the eligibility for housing allotment should be evicted only after rehabilitation.

b. That it is submitted that out of the aforesaid 145 families, 121 families have been found eligible for allotment of land for house and other 24 families have been found ineligible due to having a government job or other land available for house in the village or having the benefit of earlier allotment of house. It is further submitted that the land measuring area 0.2530 hectare of Gata No. 249 recorded as Naveen Parti, area 0.2530 hectare of Gata

No. 513 recorded as Usar and the area 0.2620 hectare recorded in the name of Gram Samaj have been marked for allotment of land for house to the eligible 121 families. It is also submitted that due to non-achievement of target for housing allotment in Tehsil Sarojini Nagar, Lucknow, the District Magistrate, Lucknow sent the letter dated 18.10.2024 to the Commissioner and Secretary, Board of Revenue, U.P. Lucknow for approval of housing allotment target to 121 landless families proposed in compliance of the order dated 08.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal. Thereafter the Commissioner and Secretary of the Board of Revenue, U.P. Lucknow sent the letter dated 05.11.2024 with the following instruction;

"अवगत कराना है कि परिषद पत्रांक आर-434 / जी-05-09डी/2024 दिनांक 14.07.2024, द्वारा सामान्य परिस्थितियों में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के आवंटनों से संबंधित लक्ष्य प्रदान किये गये है। परंतु उक्त प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पुनर्वासन हेतु पात्र पाये गये 121 परिवारों को आवास आवंटन किये जाने हेतु नियमानुसार यथोचित् कार्यवाही की जा सकती है...।"

c. That thereafter in compliance of the order dated 08.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal it is submitted that for allotment of land for house to the proposed 121 landless, poor families under section 64 of the U.P. Revenue Code, 2006 and Rule 61-64 of the U.P. Revenue Code Rules 2016, the Secretary/Lekhpal of the Land Management Committee, Village Gadhi Chunauti informed the Chariman/Members for meetingon 08.11.2024 for action/proposal but the Chairman/Members did not appear at the fixed place and time. The Secretary/Lekhpal again called the Chairman/Members for action/proposal on 16.11.2024 but the Chairman/Members did not appear at the fixed place and time, therefore in compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal, the further proceedings is in process for marking the land for allotment of house to the eligible poor and landless families residing over the pond land.

d. That it is submitted that out of 145 residing families, total 129 beneficiaries have been found eligible in the survey done by the Revenue Department in which 08 families have already been allotted land for house and the process of allotment of land is in process for remaining 121 eligible families and the Secretary, Government of U.P. granted the approval vide letter dated 11.11.2024 for allotment of house to all 129 families. A copy of the letter dated 11.11.2024 is annexed herewith as **Annexure No.1** to this affidavit.

ii. **Removal of Hyacinth**

The work of cleaning hyacinth in the pond is continuously being done at the level of department.

iii. **Identification and taping of drains to curtail Pollution Source sat inlet.**

a. Soakpits have been constructed for the water sources of the pond, which helps in collecting and disposing of the waste water away from the house.
b. Filter Chambers have been constructed for the water sources of the pond which prevent silt, soil, sediment metals and pesticides from entering the water storage system and causing harm.
c. Silt catcher has been constructed for the water sources of ponds, which collects the silt at the bottom of the pond and works to filter the water.
d. The drain has been constructed for removing the culminated water.

iv. **Removal of Polluted Water from Pond**
In compliance of the order dated 08.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, the contaminated water of the drain has been mixed with the Nagwa drain through previously constructed drain by modifying it by making three layer waste stabilization pond/waste stablusation pond. In this way, no grey water is getting mixed in the pond water.

v. **Rejuvenation/Beautification of the Pond**
A detailed model DPR was prepared by the Executive Engineer, Irrigation Department, Lucknow for the renovation, conservation and beautification of the Chande Baba pond and the efforts are being made to get the work of excavation and lifting of soil of the remaining pond area done by NHAI and other implementing agencies to be put on the roads being constructed in the interest of government work, in which in the first phase, permit no. NOC/OE/2024/7/4/376328 dated 02.08.2024 was granted to PNC Infratech Ltd for excavation/lifting of 34363 cubic meters from about 2 hectare area.

vi. **Development of Green Belt**

Divisional Forest Officer, Avadh Forest Division, Lucknow had informed vide letter dated-16.11.2024 that for the protection of Chande Baba pond, a total of 1000 plants have been planted with iron tree guards as per environmentally friendly species and the success rate of all the said planted plants is 100 percent. Similarly, Block Development Officer, Sarojininagar, Lucknow has also informed that under the MNREGA scheme, a total of 1300 plants have been planted in the years 2023-24 and 2024-25, which are currently alive.

vii. **Water Monitoring of the Pond**

Regional Officer, Pollution Control Board Lucknow has informed vide letter dated 03.10.2024 that in compliance of the order passed by this Hon'ble Tribunal, the water of Chande Baba pond is being monitored on a monthly basis. The updated report of Regional Officer, Pollution Control Board, Lucknow is being annexed herewith as **Annexure No. 2** to this affidavit.

5. That it is important to mention here that the efforts elaborated above clearly shows the intent for complying with the orders of the Hon'ble Tribunal and to work towards preservation and development of such projects which help in conservation, protection, preservation and safeguarding the environment for a more sustainable growth.

6. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION:

OATH COMMISSIONER OATH COMMISSIONER OATH COMMISSIONER at 6:15 pm

Verified at Lucknow on this 16th day of November 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

OATH COMMISSIONER OATH COMMISSIONER OATH COMMISSIONER

Deponent identified by Sri R.K. Mishra OATH COMMISSIONER

OATH COMMISSIONER CSC office Lucknow

DEPONENT

OATH COMMISSIONER

clerk

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD 16/11

OATH COMMISSIONER High Court ... Lucknow ... 16/11/24

No. 0270495

Date 16/11/24

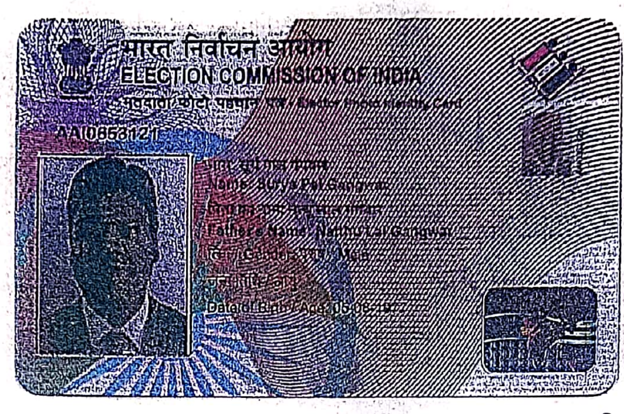
भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
AA0863121
Name: Surya Pal Gangwar
Father's Name: Nathu Lal Gangwar
Gender: Male
Date of Birth / Age: 05-08-19

Suyal

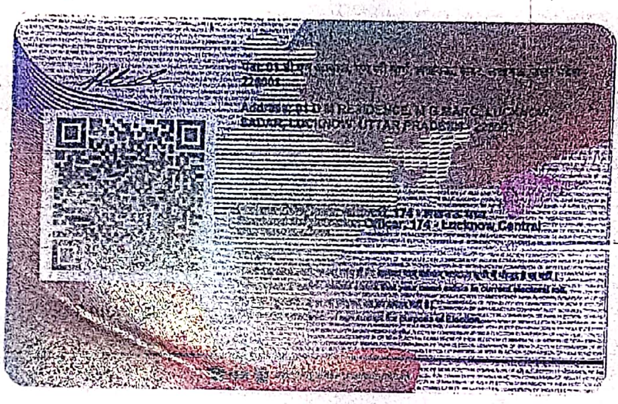
Address: 01 D II RESIDENCE, N G MARG, LUCKNOW SADAR, LUCKNOW, UTTAR PRADESH - 226001
Electoral Registration Officer, 174 - Lucknow Central

Suyal

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD
16/11/24

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD
Lucknow
16.11.24
No. 02 70495
Date 16-11-24

ATR

ANNEXURE 1 (COLLY)

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक– 390/एस0टी0/एन0जी0टी0सन्दर्भ/2024–25 दिनांक–16 नवम्बर, 2024

विषय– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 एवं अग्रेत्तर आदेश दिनांक 07.05.2024 एवं 08.08.2024 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों से अद्यतन एक्शन टेकन रिपार्ट (ATR) प्राप्त की गयी। अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) निम्नवत् है–

1–<u>Removal of encroachment around the pond</u>–उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:–

a- मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में ग्राम गढी चुनौटी की गाटा सं0 268 कुल रकबा 36.9090हे0 में से रकवा 3.1859हे0 पर आवासित परिवारों के मकानों का पुनः सर्वे कराया गया। उक्त सर्वे में कुल 115 मकान/भवन निर्मित पाये गये जिसमें कुल 145 परिवार वर्तमान में आवासित हैं। उक्त 115 भवन/मकान के स्वामियों के विरूद्ध **उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67** के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार सरोजनीनगर व न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) सरोजनीनगर द्वारा **दिनांक 30.04.2024, 03.09.2024 व 04.09.2024** में बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया है परन्तु **शासनादेश संख्याः आई/41/420/2023 राजस्व अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 19.10.2023 में** "............*अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी गरीब व्यक्ति तथा अन्य भूमिहीन एवं निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न न होने पाये। यथा सम्भव उक्तवत वर्णित गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था किये जाने के बाद ही उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जाये............*" आदेशित किया गया है। अतः आवास आवंटन हेतु पात्रता की परिधि मे आने वाले गरीब, भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने के पश्चात ही बेदखल किया जाना अपेक्षित है।

b- उक्त 145 परिवारों में से राजस्व विभाग द्वारा 121 परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटन का लाभ पाने का पात्र पाया गया है तथा अन्य 24 परिवारों को सरकारी नौकरी होने अथवा ग्राम में आवास हेतु अन्य भूमि उपलब्ध होने या पूर्व में आवास आवंटन का लाभ पाने के कारण अपात्र पाया गया है। कुल चिन्हित 121 परिवारों को ग्राम गढ़ी चुनौटी की गाटा सं0 249 में

से रकबा 0.2530हे0 नवीन परती, गाटा सं0 513 में से रकबा 0.2530हे0 ऊसर व गाटा सं0 565 में से रकबा 0.2620हे0 ग्राम समाज की भूनि आवास आवंटन हेतु चिन्हित कर ली गयी। तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ में आवास आवंटन हेतु लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र सं0 583/डीएलआरसी/एनजीटी/2024 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-5, लखनऊ को माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुकम में प्रस्तावित 121 भूमिहीन परिवारों को आवास आवंटन लक्ष्य को स्वीकृत किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र सं0 आर-619/5-ग0चु0 (आ0आ0)/2024 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये- *"...अवगत कराना है कि परिषद पत्रांक आर-434 /जी-05-09डी/2024 दिनांक 14.07.2024, द्वारा सामान्य परिस्थितियों में भूमि सुधार कार्यकम के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के आवंटनों से संबंधित लक्ष्य प्रदान किये गये है। परंतु उक्त प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पुनर्वासन हेतु पात्र पाये गये 121 परिवारों को आवास आवंटन किये जाने हेतु नियमानुसार यथोचित् कार्यवाही की जा सकती है...।"*

c- उक्त के क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में प्रस्तावित **121 भूमिहीन, गरीब/निर्धन** परिवारों को **उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 61-64** के अर्न्तगत आवास हेतु भूमि आवंटित किये जाने के लिये भूमि प्रवन्धक समिति ग्राम गढी चुनौटी के सचिव/लेखपाल के द्वारा कार्यवाही/प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष/सदस्यों को दिनांक 08.11.2024 को बैठक हेतु सूचित किया गया लेकिन उक्त दिनांक पर अध्यक्ष/सदस्य नियत स्थान व समय पर उपस्थित नहीं आये। सचिव/लेखपाल द्वारा पुनः कार्यवाही/प्रस्ताव के लिये अध्यक्ष/सदस्यों को दिनांक 16.11.2024 को कार्यवाही/प्रस्ताव हेतु बैठक बुलाई गयी परन्तु अध्यक्ष/सदस्य नियत स्थान व समय पर उपस्थित नहीं आये। भूमि प्रवन्धक समिति द्वारा आवास आवंटन की कार्यवाही न किये जाने पर भासनादे"ा संख्या-221/एक-2021-20 (5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 06 अप्रैल 2021 व मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में आवास हेतु भूमि आवंटन अपरिहार्य होने के कारण **उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 61-64** के अर्न्तगत स्वप्रेरणा के आधार पर तालाव की भूमि पर बसे गरीव, निर्धन एवं भूमिहीन पात्र परिवारों को आवास हेतु भूमि चिन्हित कर आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है। **(संलग्नक-01)।**

d- उक्त में आवासित 145 परिवारों में से राजस्व विभाग द्वारा कुल 129 लाभार्थियों को सर्वे में पात्र पाया गया है। जिसमें से 08 परिवारों को पूर्व से आवास हेतु भूमि आंवटित है एवं शेष 121 को आवास हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रचालित है। उक्त सभी 129 पात्र परिवारों को सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-2/793508/38-4099(99)/144/2024 दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के क्रम में आवास आवंटन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। **(संलग्नक-02, 03, 04)।**

2-**Removal of hyacinth**-खण्ड विकास अधिकारी सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त तालाब में पूर्व में जलकुम्भी की सफाई का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा गया था, पुनः जलकुम्भी होने पर सफाई का कार्य अनवर समय-समय पर कराया जा रहा है। कार्य निरन्तर प्रगति पर है।

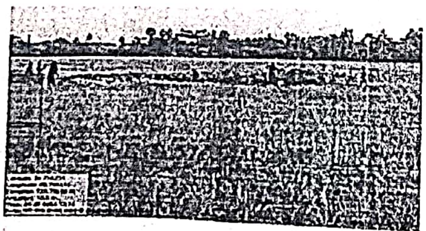

3–Identification and tapping of drains to curtail pollution source sat inlet

खण्ड विकास अधिकारी सरोजनीनगर एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ द्वारा पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार तालाब के पास निवास कर रहे विभिन्न बस्तियों के मकानों से गन्दा पानी तालाब में गिराया जा रहा था जिसमें मुख्य रूप से गढ़ी चुनौटी मुख्य बस्ती, नट खेड़ा तथा बनियन खेड़ा बस्ती में निवास कर रहे लगभग 20 व्यक्तिगत परिवारों के द्वारा अपने घरों के पानी को तालाब में गिराया जा रहा था। उसे कुल 290 मी0 पक्की नाली एवं 03 सोकपिट 03 फिल्टर चैम्बर एवं सिल्ट कैचर ग्राम पंचायत से वनाकर गन्दा पानी तालाब में जाने से रोक दिया गया था। पुनः मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 08.08.2024 के क्रम में 11 सोकपिट अतिरिक्त रूप से वनाया गया है, जिससे अपशिष्ट जल को घर से दूर एकत्र करने और निपटाने में मदद मिलती है। सोकपिट अपशिष्ट जल में मौजूद प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। अतिरिक्त कार्य स्थल निम्नवत है:–

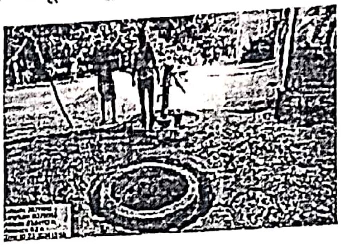

1. श्री रमेश पुत्र वाबूलाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
2. श्री मलखान पुत्र स्व रामकरन के घर के पास सोक पिट निर्माण।
3. श्री सुनील पुत्र वीरपाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
4. श्री मुकेश पुत्र छेदू के घर के पास सोकपिट निर्माण।
5. श्री दिनेश पुत्र बाबूलाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
6. श्री संदीप पुत्र राजाराम के घर के पास सोकपिट निर्माण।
7. श्री बुद्धीलाल पुत्र तोता के घर के पास सोकपिट निर्माण।
8. श्री विजय पात्र पुत्र बैजनाथ के घर के पास सोकपिट निर्माण।
9. श्री विनोद पुत्र रामदुलारे के घर के पास सोकपिट निर्माण।
10. श्री रामपाल पुत्र रामआसरे के घर के पास सोकपिट निर्माण।
11. श्री रविकान्त पुत्र रामपाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।

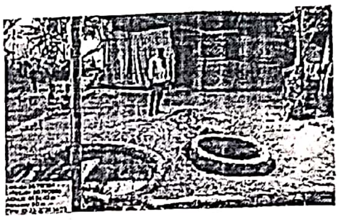

4- Removal Of Polluted Water From Pond– पूर्व में 03 नाले से गन्दा पानी तालाव में सामूहिक रूप से गिर रहा था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए उपरोक्त समस्त वस्तियों व व्यतिगत घरों के पानी को ग्राम गढ़ी चुनौटी मुख्य बस्ती, बनियनखेड़ा, नटखेड़ा से होते हुये डामर रोड तक कुल 1050 मी0 के नाला, जो 03 मी0 चौड़ा तथा 02 मी0 गहरा है, की खुदाई ग्राम पंचायत से कराते हुये गन्दे पानी को तालाब में जाने से रोकते हुये नगवा नाली में मिलाया गया था। दिनांक 08.08.2024 के मा0 अधिकारण के आदेश के क्रम में नाले के दूषित जल को Three Layerd waste stabllistion pond/waste stabiusation pond वना कर संशोधित करते हुये पर्वू निर्मित नाले के माध्यम से नगवा ड्रेन से मिला दिया गया है। इस प्रकार कोई भी ग्रे वाटर तालाब के पानी में नहीं मिल रहा है (संलग्नक–05)।

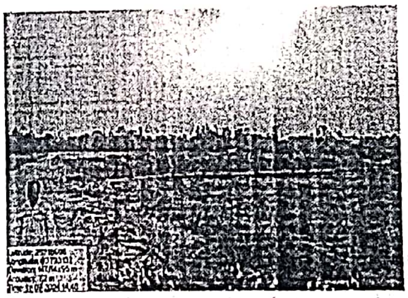

5–**Rejuvenation/Beautification Of The Pond**–उक्त के क्रम में चॉदे बाबा तालाब, जो 36.96 हे0 का है, के जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुन्दरीकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ से विस्तृत मॉडल डी0पी0आर0 तैयार कराया गया, जिसमें डी–सिल्टिंग हेतु मिट्‌टी खुदाई, तालाब के चारों तरफ बन्धा निर्माण, जल एकत्रीकरण हेतु इनलेट का प्राविधान किया गया है, जिसकी कुल लागत रू0 22.41 करोड़ का प्राक्कलन गठित किया गया है। वर्तमान में बजट की उपलब्धता न होने के कारण उक्त कार्य को चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। प्रथम चरण में तालाब एवं उसके आस–पास खुदाई कर तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा योजना/कन्वर्जेन्स के माध्यम से लगभग–2.90 हे0 क्षेत्र में कराने की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ को जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, लखनऊ द्वारा प्रदान करते हुये जीर्णोद्धार/सुन्दरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। आंशिक भाग में जल भराव होने के कारण शेष भाग में खुदाई/जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। जल भराव समाप्त होने/कम होने पर शेष भाग में खुदाई का कार्य कराया जायेगा।

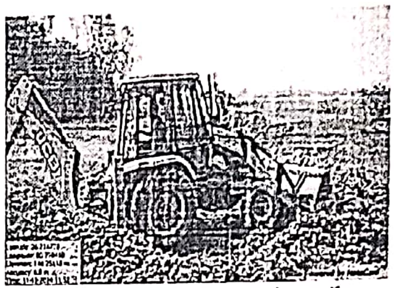

इसके अतिरिक्त अवशेष तालाब क्षेत्र की मिट्‌टी खुदाई एवं उठान का कार्य एन0एच0ए0आई0 एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से शासकीय कार्यहित में बनाये जा रहे मार्गो पर डालने के रूप में कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में लगभग 2.00 हे0 क्षेत्र से 34363 घन मी0 खुदाई/उठान हेतु पी0एन0सी0 इन्फाटेक लि0 को खनन के लिए अनुज्ञा संख्या–एन0ओ0सी0/ओ0ई0 /2024/7/4/376328 दिनांक 02.08.2024 को प्रदान की गयी है (संलग्नक–06)।

6–**Development of green belt**– प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या–3725/35–1 दिनांक–16.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया था कि चॉदे बाबा तालाब के संरक्षण हेतु कुल 1000 पौधे आयरन ट्री गार्ड के साथ पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों के अनुसार रोपण किया गया है एवं उक्त समस्त रोपित पौधों की सफलता 100 प्रतिशत है। इसी प्रकार खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा भी अवगत कराया गया है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में कुल 1300 पौधे रोपित किये गये है, जो कि वर्तमान में जीवित है। (संलग्नक–07)।

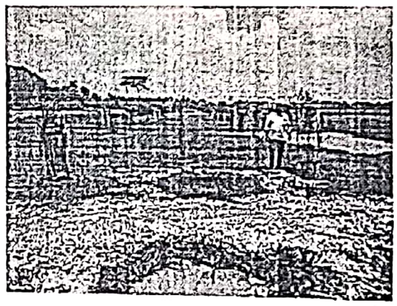

7–**Water monitoring of the pond**– क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या–27938112 दिनांक 03.10.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश के समादर में चॉदे बाबा तालाब के जल का अनुश्रवण मासिक रूप से कराया जा रहा है, जिसकी अद्यतन रिपोर्ट संलग्न है (संलग्नक–08)।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

Ajay 16/11/24

(अजय जैन)
मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,

सरोजनीनगर, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,

जनपद लखनऊ।

पत्रांक : 1122/एस0टी0–एस0डी0एम0/2024 दिनांक : 16.11.2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में अद्यतन ऐक्शन टेकन रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ग्राम गढ़ी चुनौटी, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की गाटा संख्या 268 के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 अधिकरण में सुनवाई दिनांक 08.08.2024 को पारित आदेश का अंश निम्नवत् है–

".............We find that substantial encroachment is still continuing and has not been removed.

Supreme Court in Hinch Lal Tiwari Vs. Kamala Devi and Ors. (2001) 6 SCC 496, observed that no encroachment of pond or water body can be allowed and it is responsibility of the State Authorities to ensure restoration of ponds to their original condition.

Therefore, removal of encroachment cannot be allowed to take a long time. District Magistrate is under obligation to take effective steps for removal of such encroachment.

Moreover, responsibility for maintenance of water body is also a statutory obligation of District Magistrate being Chairmen of District Wetland Committee as also Chairman of District Environment Committee.

With regard to discharge of effluent in the pond, we find that same is being diverted to another drain which is ultimately meeting river side and, therefore, virtually untreated sewage is being discharged in river side which ultimately meets River Gomti. This is wholly impermissible and prohibited under Section 24 of water (Prevention and Control of Pollution).Act, 1974.

Immediate steps shall be taken of treatment of effluent and no effluent untreated shall be allowed to be discharged in the river.

District Magistrate submitted that all steps will be taken for remediation of pond on various aspects mentioned in the affidavit dated 07-08-2024, the requests that some time may be allowed to him to achieve the target.

Let him take effective and remedial steps within three months and submit a Compliance Report............"

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में ग्राम गढी चुनौटी की गाटा सं0 268 कुल रकबा 36.9090हे0 में से रकबा 3.1859हे0 पर आवासित परिवारों के मकानों का पुनः सर्वे कराया गया। उक्त सर्वे में कुल 115 मकान/भवन निर्मित पाये गये जिसमें कुल 145 परिवार वर्तमान में आवासित है। उक्त 115 भवन/मकान के स्वामियों के विरूद्ध उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार सरोजनीनगर व न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) सरोजनीनगर द्वारा दिनांक 30.04.2024, 03.09.2024 व 04.09.2024 में बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया है परन्तु शासनादेश संख्याः आई/41/420/2023 राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19.10.2023 में *"............अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी गरीब व्यक्ति तथा अन्य भूमिहीन एवं निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न न होने पाये। यथा सम्भव उक्तवत वर्णित गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था किये जाने के बाद ही उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जाये............"* आदेशित किया गया है। अतः आवास आवंटन हेतु पात्रता की परिधि मे आने वाले गरीब, भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने के पश्चात ही बेदखल किया जाना अपेक्षित है।

उक्त 145 परिवारों में से राजस्व विभाग द्वारा 121 परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटन का लाभ पाने का पात्र पाया गया है तथा अन्य 24 परिवारों को सरकारी नौकरी होने अथवा ग्राम में आवास हेतु अन्य भूमि उपलब्ध होने या पूर्व में आवास आवंटन का लाभ पाने के कारण अपात्र पाया गया है। कुल चिन्हित 121 परिवारों को ग्राम गढ़ी चुनौटी की गाटा सं0 249 में से रकबा 0.2530हे0 नवीन परती, गाटा सं0 513 में से रकबा 0.2530हे0 ऊसर व गाटा सं0 565 में से रकबा 0.2620हे0 ग्राम समाज की भूमि आवास आवंटन हेतु चिन्हित कर ली गयी। तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ में आवास आवंटन हेतु लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र सं0 583/डीएलआरसी/एनजीटी/2024 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग–5, लखनऊ को माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुक्रम में प्रस्तावित 121 भूमिहीन परिवारों को आवास आवंटन लक्ष्य को स्वीकृत किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग–5, लखनऊ के पत्र सं0 आर–619/5–ग0चु0(आ0आ0)/2024 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये– *"............अवगत कराना है कि परिषद पत्रांक–आर–434/जी–05–09डी/2024 दिनांक 14.07.2024, द्वारा सामान्य परिस्थितियों में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के आवंटनों से संबंधित लक्ष्य प्रदान किये गये है। परंतु उक्त प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पुनर्वासन हेतु पात्र पाये गये 121 परिवारों को आवास आवंटन किये जाने हेतु नियमानुसार यथोचित् कार्यवाही की जा सकती है.........।"*

उक्त के क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में प्रस्तावित **121 भूमिहीन, गरीब/निर्धन** परिवारों को **उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 61–64** के अर्न्तगत आवास हेतु भूमि आवंटित किये जाने के लिये भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम गढी चुनौटी के सचिव/लेखपाल के द्वारा कार्यवाही/प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष/सदस्यों को दिनांक 08.11.2024 को बैठक हेतु सूचित किया गया लेकिन उक्त दिनांक पर अध्यक्ष/सदस्य नियत स्थान व समय पर उपस्थित नहीं आये। सचिव/लेखपाल द्वारा पुनः कार्यवाही/प्रस्ताव के लिये अध्यक्ष/सदस्यों को दिनांक 16.11.2024 को कार्यवाही/प्रस्ताव हेतु बैठक बुलाई गयी परन्तु अध्यक्ष/सदस्य नियत स्थान व समय पर उपस्थित नहीं आये। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवास आवंटन की कार्यवाही न किये जाने पर शासनादेश संख्या–221/एक–2021–20(5)/2016 राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 06 अप्रैल 2021 व मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में आवास हेतु भूमि आवंटन अपरिहार्य होने के कारण **उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 61–64** के अर्न्तगत स्वप्रेरणा के आधार पर तालाब की भूमि पर बसे गरीब, निर्धन एवं भूमिहीन पात्र परिवारों को आवास हेतु भूमि चिन्हित कर आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में अग्रिम नियत तिथि 19.11.2024 में अद्यतन ऐक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

16.11.24

उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदया, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चतुर्थ तल, बी ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ

4114120/2023

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-02 लखनऊः दिनांक 13/10/2023

विषयः सार्वजनिक श्रेणी की भूमि पर बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों को हटाये जाने के पूर्व उनको अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न माध्यमों से शासन के संज्ञान में आया है कि सार्वजनिक भूमि पर पूर्व से अध्यासित अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब तथा भूमिहीन व्यक्तियो जिनके पास अन्यत्र निवास का कोई उचित स्थान नहीं है, उन्हें बिना विधिक प्रक्रिया के अनुपालन के हटाया बेदखल करने, हटाये जाने और उत्पीड़न किये जाने की शिकायतें निरन्तर प्राप्त हो रही है।

इस संबंध में सूच्य है कि शासन द्वारा पूर्व में शासनादेश संख्या-491/एक-2- 2017-1 (सामान्य)/2017 दिनांक 16.05.2017 एवं शासनादेश संख्या-2/2018/242/एक-2- 2018-1 (सामान्य)/2017टी0सी0 दिनांक 19.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-10/एक-2-2021 -1(सामान्य)/2017टी0सी0 दिनांक 14.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत करते हुये यह निर्देश दिये गये हैं कि अवैध सम्पत्तियों एवं भूमाफियाओं का चिन्हीकरण तथा अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी कार्यवाही करते समय किसी गरीब, असहाय एवं कमजोर व्यक्ति का उत्पीडन न होने पाये तथा विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये। गरीबों के उत्पीड़न/शोषण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी स्वयं प्रकरण की जांच करायेंगे तथा जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे।

2- शासन के उपर्युक्त निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक व स्वीकार योग्य नहीं है। शासन द्वारा भी सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के नाम पर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न किसी भी दशा में न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- इस संबंध में पुनः यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि अवैध सम्पत्तियों एवं भूमाफियाओं का चिन्हीकरण तथा आरक्षित श्रेणी की भूमि से भी अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी कार्यवाही करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी गरीब व्यक्ति तथा अन्य भूमिहीन एवं निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न न होने पाये। यथासम्भव उक्तवत वर्णित गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था किये जाने के बाद ही उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जाये। गरीबों के उत्पीड़न/शोषण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी स्वयं प्रकरण की जांच करेंगे तथा जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का जिलाधिकारी द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता के लिए संबंधित जिलाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग) Signed by सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव। Date: 13-10-2023 15:36:44
Reason: Approved

संख्या एव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार गरीब एवं भूमिहीनों तथा निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था कराये जाने हेतु अपने स्तर से संबंधित को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राकेश यादव)
अनु सचिव।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव ,
राजस्व परिषद, उ०प्र० ,
अनुभाग–5,
लखनऊ।

संख्या – 583/डीएलआरसी/एनजीटी/2024 दि०– 18 अक्टूबर, 2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस पत्र के साथ संलग्न उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ की आख्या दिनांक 15.10.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2022, 18.01.2023, 22.03.2023, 10.05.2023, 11.09.2023,17.10.2023, 24.01.2024, 07.05.2024, 08.08.2024 में ग्राम गढ़ी चुनौटी परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की गाटा संख्या 268 रकबा 36.9090 हे0 तालाब के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है। उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ से प्राप्त आख्या दिनांक 15.10.2024 के अनुसार प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत है :–

1. यह कि ग्राम गढ़ी चुनौटी परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की गाटा संख्या 268 रकबा 36.9090 हे0 तालाब के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2022, 18.01.2023, 22.03.2023, 10.05.2023, 11.09.2023,17.10.2023, 24.01.2024, 07.05.2024, 08.08.2024 में तालाब का जीर्णोद्धार हेतु निर्गत दिशा–निर्देश के क्रम जिलाधिकारी, लखनऊ की तरफ से अद्यतन Action taken report दिनांक 17.10.2023, 24.01.2024, 07.05.2024, 08.08.2024 को प्रेषित की गयी है।

2. क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ के पत्र सं0 1547/ओ0ए0 नं0 602/2023 दिनांक 06.10.2023 के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 व 22.03.2023 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र सं0 3015(1)/ए0डी0एम0(प्रशा0)/2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा सम्बन्धित विभाग यथा–राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, लघु सिचाई विभाग, वन विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ बैठक दिनांक 13.10.2023 को आयोजित की गयी तथा समस्त विभागों को मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने एवं अद्यतन Action taken report प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उक्त विभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मा0 न्यायालय को सुनवाई की नियत तिथि 17.10.2023 प्रेषित की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा समस्त विभागों को कार्यवाही हेतु निम्नवत् निर्देशित किया गया था–

SN	Activity	Actions to be taken by
1-	Removal of encroachment around the pond	District Administration
2-	Removal of hyacinth	Rural Development Department
3-	Identification and tapping of drains to curtail pollution source sat inlet	Miner Irrigation Department
4-	Removal of polluted Water from the pond	Rural Development Department
5-	Rejuvenation/beautification of the pond	Rural Development Department
6-	Development of green belt	Forest Department
7-	Water monitoring of the pond	UPPCB

मा0 न्यायालय द्वारा सुनवाई तिथि 17.10.2023 को पारित आदेश का अंश निम्नवत् है— *"Action taken report be filed by respondents no. 1 to 5 and 7 within three months".*

3. मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम गढी चुनौटी की गाटा सं0 268 पर आवासित भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम लोनहा की गाटा सं0 814 रकबा 2.5540 हे0 व 815स रकबा 2.4530हे0 ऊसर खाते की भूमि चिन्हित की गयी परन्तु भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम लोनहा द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया कि हमारे ग्राम में पहले से ही भूमि संसाधन कम है और अनेक योजनायें एवं कार्य किये जाने की आवश्यकता है जिसके लिये भविष्य में भूमि की आवश्यकता पड़ेगी अतः अन्य ग्रामवासियों के लिये भूमि का आवंटन न किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव दिनांक 30.03.2024 व 29.04.2024 संलग्न है।

मा0 न्यायालय द्वारा सुनवाई तिथि 24.01.2024 को पारित आदेश का अंश निम्नवत् है—

"Additional Action taken reports be filed by respondents no. 1 to 5 and 7 and respondent no. 6 within three months".

उक्त आदेश के अनुपालन में पुनः Action taken report मा0 न्यायालय को प्रेषित की गयी जिसमें सुनवाई की तिथि 07.05.2024 नियत थी। मा0 न्यायालय द्वारा नियत तिथि 07.05.2024 को पारित आदेश का अंश निम्नवत् है—

" We have gone through the reports and we find that requisite remedial measures essentially required to be taken for restoration of Chande Baba Talab have not been taken by the concerned authorities so far. The question as to whether Chande Baba Talab is liable to be declared wetland in view of the area involved has also not been considered/decided.

No doubt the matter of removal of encroachments is also involved but the area under encroachment is merely 3.1859 hectare and the remaining area is available for restoration which needs to be focused upon and given priority and the matter of restoration/rejuvenation of remaining area of the pond cannot be allowed to be delayed by tagging the same with the question of removal of encroachments.

Additional Chief Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh, the Chairman, State Wetland Authority, and the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Utter Pradesh are directed to personally look into the matter and issue appropriate instructions for taking of remedial measures and file their own affidavits within two months regarding remedial measures taken/to be taken for restoration of the pond and better utilization of the area available.

The District Magistrate, Lucknow is also directed to file his report by way of his own affidavit within two months mentioning if detail action taken/to be taken and also the deliberations made in the meetings of the District Wetland Committee regarding 'Chande Baba Talab along' with copies of the minutes recording the deliberations/decisions regarding the same.

4. मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अद्यतन Action taken report प्रेषित की गयी तथा मा0 न्यायालय को अवगत कराया गया है कि ग्राम गढी चुनौटी की गाटा सं0 268 रकबा 36.9090हे0 में आवासित परिवारों का तत्समय सर्वे कराये जाने पर 123 परिवारों की सूची तैयार की गयी थी जिनमें से अधिकांश परिवार भूमिहीन, गरीब एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे। उपरोक्त अतिक्रमित भूमि के खाली कराये जाने से पूर्व उनका पुर्नवास आवश्यक प्रतीत होता है किन्तु आवास भूमि आवंटन लक्ष्य तहसील सरोजनीनगर में आवंटित नहीं है। मा0 न्यायालय में सुनवाई तिथि दिनांक 08.08.2024 को पारित आदेश का अंश निम्नवत् है–

'We find that substantial encroachment is still continuing and has not been removed.

Supreme Court in HinchLalTiwariVs. Kamala Devi and Ors. (2001) 6 SCC 496, observed that no encroachment of pond or water body can be allowed and it is responsibility of the State Authorities to ensure restoration of ponds to their original condition.

Therefore, removal of encroachment cannot be allowed to take a long time. District Magistrate is under obligation to take effective steps for removal of such encroachment.

Moreover, responsibility for maintenance of water body is also a statutory obligation of District Magistrate being Chairmen of District Wetland Committee as also Chairman of District Environment Committee.

With regard to discharge of effluent in the pond, we find that same is being diverted to another drain which is ultimately meeting river side and, therefore, virtually untreated sewage is being discharged in river side which ultimately meets River Gomti. This is wholly impermissible and prohibited under Section 24 of water (Prevention and Control of Pollution).Act, 1974.

Immediate steps shall be taken of treatment of effluent and no effluent untreated shall be allowed to be discharged in the river.

District Magistrate submitted that all staps will be taken for remediation of pond on varius aspects mentioned in the affidavit dated 07-08-2024, the requests that some time may be allowed to him to achieve the target.

Let him take effective and remedial steps within three months and submit a Compliance Report.'

5. मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में पुनः ग्राम गढी चुनौटी की गाटा सं0 268 कुल रकबा 36.9090हे0 में से रकबा 3.1859हे0 पर आवासित परिवारों के मकानों का सर्वे कराया गया। उक्त सर्वे में कुल 115 मकान/भवन निर्मित पाये गये जिसमें कुल 145 परिवार वर्तमान में आवासित है। उक्त 115 भवन/मकान के स्वामियों के विरूद्ध उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार सरोजनीनगर व न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) सरोजनीनगर द्वारा दिनांक 30.04.2024 व दिनांक 03.09.2024 व 04.09.2024 में बेदखली

का आदेश पारित कर दिया गया है, परन्तु शासनादेश संख्या i/41/420/2023 राजस्व अनुभाग–2, लखनऊ दिनांक 19.10.2023 में निर्देश दिये गये है कि गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था किये जाने के बाद ही उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जाये। अतः आवास आवंटन हेतु पात्र गरीब भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बेदखल करने से पूर्व पुर्नवासित किया जाना उचित होगा।

उक्त के क्रम में 145 परिवारों में से राजस्व विभाग द्वारा 121 परिवारों को आवास आवंटन का लाभ पाने का पात्र पाया गया है तथा अन्य 24 परिवारों कों सरकारी नौकरी होने अथवा ग्राम में आवास हेतु अन्य भूमि उपलब्ध होने या पूर्व में आवास आवंटन का लाभ पाने के कारण अपात्र पाया गया है। कुल चिन्हित 121 परिवारों को ग्राम गढ़ी चुनौटी की गाटा सं0 249 में से रकबा 0.2530हे0 नवीन परती, गाटा सं0 513 में से रकबा 0.2530हे0 ऊसर व गाटा सं0 565 में से रकबा 0.2620हे0 ग्राम समाज की भूमि आवास आवंटन हेतु चिन्हित कर ली गयी है परन्तु तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ में आवास आवंटन हेतु लक्ष्य प्राप्त नहीं है।

उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ की उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम गढ़ी चुनौटी परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की गाटा संख्या 268 रकबा 36.9090 हे0 तालाब पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या–602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों में मूलतः तालाब भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाकर उसे मूल स्वरूप में संरक्षित किये जाने के निर्देश दिये है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में Action taken report दाखिल की जा चुकी है। उक्त अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध तहसीलदार, सरोजनीनगर के न्यायालय से बेदखली आदेश पारित किया गया लेकिन शासनादेश संख्या i/41/420/2023 राजस्व अनुभाग–2, लखनऊ दिनांक 19.10.2023 में ".गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था किये जाने के बाद ही उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जाये।. ...." आदेशित किया है। अतः आवास आवंटन हेतु पात्रता की परिधि में आने वाले गरीब भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पुर्नवासित किये जाने के पश्चात ही बेदखल किया जाना उचित होगा। इस हेतु कुल चिन्हित 121 परिवारों को ग्राम गढ़ी चुनौटी की गाटा सं0 249 में से रकबा 0.2530हे0 नवीन परती, गाटा सं0 513 में से रकबा 0.2530हे0 ऊसर व गाटा सं0 565 में से रकबा 0.2620हे0 ग्राम समाज की भूमि आवास आवंटन हेतु चिन्हित कर ली गयी है परन्तु इस कार्यालय के पत्र संख्या 556/डीएलआरसी/गांव सभा/2024 दिनांक 27,मई, 2024 के आधार पर मा0 राजस्व परिषद के पत्र संख्या–आर.434/जी–5–09डी/2024 दिनांक–14,जुलाई,2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में ग्राम सभा की भूमि आवंटन के संबंध में आवास स्थल आवंटन (परिवार) का निर्धारित लक्ष्य 30 परिवार आवंटित किया गया है, जिसे तहसील मलिहाबाद ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण आवंटित कर दिया गया है। उपर्युक्त स्थिति में उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ की आख्या दिनांक 15.10.2024 की पृच्छा के कम में उ0प्र0 राजस्व सहिंता 2006 की धारा 64 एवं उ0प्र0 राजस्व सहिंता नियमावली 2016 के नियम 61–64 के अर्न्तगत अग्रिम 121 भूमिहीन परिवारों को गृह निर्माण हेतु 25 वर्गमीटर प्रति परिवार तथा संयुक्त रूप से निर्माण हेतु, लखनऊ विकास प्राधिकरण/जिला पंचायत के लेआउट मानकों के अनुरूप सड़क/सीवर/नाली/पार्क आदि हेतु गाटा सं0 249 में से रकबा 0.2530हे0 नवीन परती, गाटा सं0 513 में से रकबा 0.2530हे0 ऊसर

व गाटा सं0 565 में से रकबा 0.2620हे0 ग्राम समाज की भूमि आवास आवंटन हेतु चिन्हित कर ली गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश 5.1.4 के अनुसार मकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मी0 होना आवश्यक है।

अतएव अनुरोध है कि उपयुर्क्त उल्लिखित तथ्यों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांकित 08.08.2024 के अनुक्रम में प्रस्तावित 121 भूमिहीन परिवारों को आवास आवंटन लक्ष्य को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी, लखनऊ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2. आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
3. उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ।

(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी, लखनऊ।

ई–मेल/फैक्स

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग– 5, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ ।

संख्या : आर–619/5–ग0चु0(आ0आ0)/2024 दिनांक : 05/11/2024

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–583/डीएलआरसी/एनजीटी/ 2024, दिनांक–18.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि जनपद लखनऊ तहसील सरोजनीनगर ग्राम गढ़ी चुनौटी के अन्तर्गत आवास आवंटन करने के संबंध में प्रेषित किया गया है। आपके पत्र दिनांक 18.10.2024 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि–

"मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–08.08.2024 के अनुपालन में पुनः ग्राम गढी चुनौटी की गाटा सं0268 कुल रकवा 36.9090हे0 में से रकबा 3.1859हे0 पर आवासित परिवारों के मकानों का सर्वे कराया गया। उक्त सर्वे में कुल 115 मकान/भवन निर्मित पाये गये जिसमें कुल 145 परिवार वर्तमान में आवासित है। उक्त 115 भवन/मकान के स्वामियों के विरूद्ध उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार सरोजनीनगर व न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) सरोजनीनगर द्वारा दिनांक 30.04.2024, दिनांक 03.09.2024 व दिनांक 04.09.2024 में बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया है, इन 145 परिवारों में 121 परिवार पुनर्वास का लाभ पाने हेतु पात्र(गरीब, भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति) पाये गये हैं। उक्त पात्र परिवारों को पुनर्वासित/आवास आवंटित कराये जाने हेतु गढी चुनौटी की गाटा संख्या 249 में से रकबा 0.2530हे0 नवीन परती, गाटा सं0 513 में से रकबा 0.2530हे0 ऊसर व गाटा सं0 565 में से रकबा 0.2620हे0 ग्राम समाज की भूमि आवास आवंटन हेतु चिन्हित कर ली गयी है। मा0राजस्व परिषद के पत्रांक–आर–434/जी–05–09डी/2024, दिनांक–14जुलाई 2024,द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत जनपद लखनऊ में ग्राम सभा की भूमि आवंटन के संबंध में आवास स्थल आवंटन (परिवार) का निर्धारित लक्ष्य–30 परिवार, जिसे तहसील मलिहाबाद ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण आवंटित कर दिया गया है।"

अवगत कराना है कि परिषद पत्रांक–आर–434/जी–05–09डी/2024, दिनांक–14जुलाई 2024, द्वारा सामान्य परिस्थितियों में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के आवंटनों से संबंधित लक्ष्य प्रदान किये गये हैं। परंतु उक्त प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पुनर्वासन हेतु पात्र पाये गये 121 परिवारों को आवास आवंटन किये जाने हेतु नियमानुसार यथोचित् कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(अरविंद सिंह)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष / सदस्यगण
भूमि प्रबन्धक समिति
ग्राम गढी चुनौटी, परगना बिजनौर,
तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ।

आप सभी अवगत हैं कि ग्राम गढ़ी चुनौटी, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की गाटा संख्या 268 के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य योजित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में तालाब की भूमि पर आवासित गरीब एवं निर्धन परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही/प्रस्ताव पारित किये जाने हेतु दिनांक 08.11.2024 को प्रातः 11 बजे स्थान पंचायत भवन ग्राम गढ़ी चुनौटी में आप सभी लोग उपस्थित होने का कष्ट करें जिससे कार्यवाही/प्रस्ताव पारित कर मा0 अधिकरण के आदेश का ससमय अनुपालन कराया जा सके।

Vishal Yadav

(विशाल यादव)
सचिव / लेखपाल
भूमि प्रबन्धक समिति
ग्राम गढी चुनौटी, परगना बिजनौर,
तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ।

दिनांक 06/11/2024

सेवा में

अध्यक्ष / सदस्यगण
भूमि प्रबन्धक समिति
ग्राम गढी चुनौटी, परगना विजनौर,
तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ।

आप सभी अवगत हैं कि ग्राम गढ़ी चुनौटी, परगना विजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की गाटा संख्या 268 के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य योजित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में तालाब की भूमि पर आवारित गरीब एवं निर्धन परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही/प्रस्ताव पारित किये जाने हेतु दिनांक 08.11.2024 को प्रातः 11 बजे स्थान पंचायत भवन ग्राम गढी चुनौटी में कार्यवाही/प्रस्ताव हेतु तिथि नियत की गयी थी परन्तु आप लोगों द्वारा नियत दिनांक पर उपस्थित न होने के कारण कार्यवाही/प्रस्ताव के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जा सकी। उक्त कार्यवाही/प्रस्ताव हेतु पुनः दिनांक 16.11.2024 की तिथि नियत की जाती है चूंकि उक्त प्रकरण मा0 अधिकरण के आदेश के सराभय अनुपालन से सम्बन्धित है अत आप सभी से अनुरोध है कि दिनांक 16.11.2024 को प्रातः 11 बजे स्थान पंचायत भवन ग्राम गढी चुनौटी में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

Vishal Yadav

(विशाल यादव)
सचिव / लेखपाल
भूमि प्रबन्धक समिति
ग्राम गढी चुनौटी, परगना विजनौर,
तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ।

दिनांक 14/11/2024

विशाल यादव
लेखपाल ग्राम गढी चुनौटी
तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ
दिनांक 14/11/2024

8/4/21

1

फैक्स/ईमेल
अति महत्वपूर्ण
संख्या–221/एक–1–2021–20(5)/2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः 06 अप्रैल, 2021

विषयः– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में किये गये संशोधन तथा राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

8058/ADM(E)/2021
07/04/21

महोदय,

अवगत कराना है कि राजस्व विधियों में सहजता लाने तथा इज आफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत विगत वर्षो में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 219 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रतिनिधायन व नीतिगत निर्णय लिये गये हैं।

7/4/2021

2. प्रायः देखा जाता है कि जनपद व मण्डल स्तर पर उक्त संशोधनों का संज्ञान नहीं लिया जाता है तथा जिन प्रकरणों के लिये जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त सक्षम प्राधिकारी है, वह प्रस्ताव भी अनावश्यक रूप से शासन को प्रेषित कर दिया जाता है, जिसके कारण प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

3. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन तथा राज्य सरकार की शक्तियों का प्रतिनिधायन व समय–समय पर लिये गये नीतिगत निर्णय मुख्यतः निम्नवत् है :–

ADM (E)

[क] उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में संशोधन

(1) **कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि की उद्घोषणा –**

(i) **चहारदीवारी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना–** अधिसूचना संख्या–1469/79–वि–1–19–1(क)4–19 दिनांक–05.08.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 80 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि की उद्घोषणा हेतु जोत या उसके आंशिक भाग के चारों ओर चहारदीवारी बनाया जाना अनिवार्य किया गया था। गैर कृषि भूमि की

6/4/2021

अभिषेक प्रकाश
जिला मैजिस्ट्रेट
लखनऊ।

उद्घोषणा हेतु उक्त चहारदीवारी की अनिवार्यता को अधिसूचना संख्या-79-वि-1-20-2(क)24-2020 दिनांक-28.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा 80 में संशोधन कर समाप्त कर गया है।

(ii) <u>गैर कृषिक उद्घोषणा को समयबद्ध किया जाना–</u> अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1(क)-36-20 दिनांक-31.08.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 80 में संशोधन कर कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि की उद्घोषणा हेतु अधिकतम 45 दिन की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है।

(2) <u>सीलिंग सीमा 5.0586हे0 (12.50 एकड़) से अधिक क्रय की अनुमति के संबंध में–</u>

(i) <u>क्रय हेतु पूर्वानुमति की शक्ति का प्रतिनिधायन–</u> अधिसूचना संख्या-1469/79-वि-1-19-1(क)4-19 दिनांक-05.08.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 89 की उपधारा (4) द्वारा विहित सीमा 5.0586हे0 (12.50 एकड़) से अधिक भूमि अर्जन अथवा क्रय की अनुज्ञा प्रदान करने की शक्ति 20.2344हे0 तक संबंधित कलेक्टर, 20.2344हे0 से अधिक और 40.4688हे0 तक संबंधित मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित की गयी है। 40.4688 हे0 से अधिक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने की अनुज्ञा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की अनुमति का स्तर उपरोक्तानुसार होगा, किन्तु शासनादेश संख्या-746/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 में वर्णित शेष व्यवस्था व प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-156/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 28.01.2021 द्वारा मण्डलायुक्त स्तर से दी जाने वाली 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु अधिकतम 60 दिन की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है।

(ii) <u>बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी भूमि का विनिमितीकरण–</u> अधिसूचना संख्या-2164/79-वि-1-20-2(क) 24-2020 दिनांक 28.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा 89 की उपधारा (3) में संशोधन कर बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी विहित सीमा 5.0586हे0 (12.50 एकड़) से अधिक भूमि को विनियमित करने की व्यवस्था की गयी है। इस हेतु राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1577/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 30.12.2020 द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण भी किया गया है, जिसके अनुसार बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा 10 प्रतिशत जुर्माने के साथ अथवा उक्त जुर्माने से छूट प्रदान करने के प्रस्ताव

Sd/-

पर विनियमितीकरण हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत किया जायेगा।

(3) <u>राजस्व संहिता की धारा 101 में संशोधन–</u> अधिसूचना संख्या–1551/79–वि–1–20–1(क)–36–20 दिनांक–31.08.2020 द्वारा ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि के विनिमय की प्रकिया को सहज बनाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 101 में भी संशोधन कर यह व्यवस्था की गयी है कि निजी भूमि का मूल्यांकन यदि सार्वजनिक भूमि के मूल्यांकन से 10 प्रतिशत अधिक हो तथा निजी भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक भूमि से 25 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में भी विनिमय पर विचार किया जा सकता है।

(4) <u>निजी भूमि का पट्टा–</u> अधिसूचना संख्या–1469/79– वि–1–19–1(क)4–19 दिनांक–05.08.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 94 द्वारा भूमिधरों को कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु निजी पट्टे पर देने के लिये निजी पट्टा निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

(5) <u>थर्ड जेण्डर को परिवार की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना–</u> अधिसूचना संख्या–1551/79–वि–1–20–1(क)–36–20 दिनांक–31.08.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 4 व अन्य संगत धाराओं में संशोधन कर थर्ड जेण्डर को सम्मिलित किया गया है। इससे थर्ड जेण्डर को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार मिल सकेगा।

[ख] <u>उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन</u>

(1) <u>सीमा विवाद व वरासत दर्ज किये जाने के संबंध में–</u> अधिसूचना संख्या–1560/एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 29.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम–16 व 22 में संशोधन कर सीमा विवाद के निपटारे के लिये समुचित व्यवस्था की गयी है। नियम–31 में संशोधन कर वरासत दर्ज किये जाने की कार्यवाही ऑन लाइन किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(2) **विनिमय हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना–** अधिसूचना संख्या–1560/एक–1–2020–रा0–1 दिनांक–29.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम–101 में संशोधन कर भूमि प्रबंधक समिति का प्रस्ताव अथवा कलेक्टर द्वारा अनुमोदित उपजिलाधिकारी के स्वप्रेरणा प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) **राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत आदेश जारी किये जाने के संबंध में –** अधिसूचना संख्या–1560/एक–1–2020–रा0–1 दिनांक–29.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम–188 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गयी है कि राजस्व संहिता, 2006 के अधीन समस्त वाद राजस्व परिषद द्वारा प्रबन्धकृत न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) के पोर्टल पर

दर्ज किये जायेंगे। समस्त राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा जारी ऐसे बार कोडेड आदेश पत्रकों पर ही आदेश पारित करेंगे।

[ग] राज्य सरकार की शक्तियों का प्रतिनिधायन व नीतिगत निर्णय

(1) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि के संबंध में–

(i) राज्य सरकार एवं भारत सरकार की परियोजनाओं हेतु श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय की शक्ति का प्रतिनिधायन – राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–689/एक–1–2020–20(5)/2016,दिनांक–06.07.2020 द्वारा ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि का श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय की शक्ति ऐसी दशा में जहां उक्त श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी विभाग हेतु प्रस्तावित हो, कलेक्टर/मण्डलायुक्त को प्रतिनिधानित की गयी है। शासनादेश संख्या–720/एक–1–2020–20(5)/2016, दिनांक 07.07.2020 द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार हेतु प्रस्तावित श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय के नये प्रस्ताव शासन को प्रेषित न करने के निर्देश दिये गये हैं तथा पूर्व में प्रेषित ऐसे प्रकरणों जिनके संबंध में 06.07.2020 तक शासन द्वारा अधिसूचना/शासनादेश निर्गत नहीं किये गये हैं, उन प्रकरणों में भी राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–689/एक–1–2020–20(5)/2016, दिनांक 06.07.2020 के आलोक में कलेक्टर/मण्डलायुक्त के स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(ii) निजी संस्थाओं हेतु विनिमय के लिये कतिपय परियोजनाओं हेतु विनिमय की शक्ति का प्रतिनिधायन– उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–101 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित सामान्य श्रेणी की भूमि के विनिमय की शक्ति उपजिलाधिकारी में निहित है। ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित आरक्षित श्रेणी की भूमि का विनिमय, ऐसी दशा में जहां उक्त विनिमय किसी निजी संस्था अथवा व्यक्ति के लिये प्रस्तावित हो, उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किये जाने की व्यवस्था है। अधिसूचना संख्या–217/एक–1–2020– रा0–1, दिनांक 10.02.2021 द्वारा केवल ऐसी दशा में जहां ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि का विनिमय शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, पीपीपी मॉडल पर निजी कालेजों की स्थापना तथा ऐसी निवेश परियोजनाएं, जिन्हें शासन की विभिन्न नीतियों में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो चुका है, के प्रकरणों में चकरोड व नाली इत्यादि की भूमि के विनिमय की शक्ति मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधानित की गयी है।

(iii) सहायक कलेक्टर की शक्ति का तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) को प्रतिनिधायन– अधिसूचना संख्या–1510/एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 29.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन यथा विहित रूप में

सहायक कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए दिनांक 11.02.2016 से तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) को प्राधिकृत किया गया है।

(iv) प्रत्येक ग्रामसभा में खेल का मैदान विकसित किए जाने के संबंध में– शासनादेश संख्या–1747/एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 15.01.2020 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में अनिवार्य रूप से 01 हेक्टेयर समुचित भूमि चिन्हित कर उस पर खेल का मैदान विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

4. उपरोक्त समस्त संशोधनों/शासनादेशों/अधिसूचनाओं की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संशोधनों/शासनादेशों/अधिसूचनाओं को आपने अधीनस्थों (तहसील स्तर तक) के मध्य प्रचारित प्रसारित कराते हुए उनमें वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :

1– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019
2– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020
3– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020
4– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020
5– शासनादेश संख्या– 1747/एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 15.01.2020
6– शासनादेश संख्या– 689/एक–1–2020–20(5)/2016, दिनांक 06.07.2020
7– शासनादेश संख्या– 720/एक–1–2020–20(5)/2016, दिनांक 07.07.2020
8– अधिसूचना संख्या–1510/एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 29.12.2020
9– शासनादेश संख्या– 1577/एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 30.12.2020
10– शासनादेश संख्या– 156/एक–1–2021–रा0–1, दिनांक 28.01.2021
11– अधिसूचना संख्या– 217/एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 10.02.2021

भवदीय,

06/4/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
(4) अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वर्णित व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार करायें।
(5) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त संशोधनों का संज्ञान लेकर उन्हें प्रचारित प्रसारित कराते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।
(6) गार्ड फाइल/ http://shasanadesh.up.gov.in/ पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव

संलग्न-15-02

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी

सरोजनीनगर, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी

लखनऊ।

पत्रांक /130 /मु0आ0यो0–ग्रा0/2024–25 दिनांक– 05-10-2024

विषयः–एन0जी0टी0 के आदेशों के कम में ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी में चांदे बाबा तालाब से विस्थापित किये जाने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, विभुति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ के पत्र संख्या–1447/OANo.602/2023 दिनांक–06.10.2023 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में चांदे बाबा तालाब सीमा से अतिकमण हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के कम में चांदे बाबा तालाब पर किये गये अतिक्रमण से विस्थापित कराकर अन्य स्थान पर इन्हें वासित किया जाना है। इस क्रम में विस्थापित परिवारों के पात्रता की जॉच संयुक्त रूप से तहसील एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	विवरण	संख्या	अभ्युक्ति
1	विस्थापन हेतु कुल परिवारों की संख्या	145	इन परिवारों में 48 परिवार ऐसे हैं, जिन्हें पूर्व से ही प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त था तथा जिनके द्वारा चांदे बाबा तालाब पर आवास निर्माण करा लिया गया था।
2	अन्य कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत अपात्र परिवारों की संख्या	16	11 परिवार सरकारी नौकरी, 04 अतिक्रमण के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में अन्य स्थान पर पक्का मकान, 01 2.5 एकड़ से अधिक भूमि वाला परिवार
3	इस प्रकार कुल पात्र परिवारों की संख्या, जिन्हे आवास उपलब्ध कराया जाना है	129	–

उपरोक्त विवरण के अनुसार पात्र पाये गये परिवारों को वासित किये जाने हेतु आवासीय पट्टा दिये जाने की कार्यवाही तहसील स्तर से की जा रही है।

अतः तहसील एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई जॉच आख्या में कुल 129 पात्र पाये गये परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत आवास आवंटित कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। जॉच आख्या एवं सूचना आपकी सेवा में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्नक– 1–129 पात्र परिवारों की सूची आवास आवंटन हेतु।
2–कुल 145 परिवारों की सूची जांच आख्या सहित।

भवदीय,

05-10-2024

खण्ड विकास अधिकारी

सरोजनीनगर, लखनऊ।

गाटा सं0–268/36.9090 हे0 (तालाब) से विस्थापित किये जाने वाले परिवारों की सूची जिन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण से आच्छादित किया जाना है।
ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

क्र0 स0	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	जाति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	संजीवन	सत्यनरायन	45	अनु0जाति	–
2	दिलीप	छोटेलाल	26	अनु0जाति	–
3	गुड्डू	यदुनंदन(गुरी)	40	पिछड़ी जाति	–
4	राकेश	रघुवीर	45	पिछड़ी जाति	–
5	अभिषेक	राकेश	23	पिछड़ी जाति	–
6	मुकेश	रघुवीर	30	पिछड़ी जाति	–
7	हंसराज	नन्हकऊ	50	पिछड़ी जाति	–
8	उमाशंकर	नन्हकऊ	38	पिछड़ी जाति	–
9	सरवन	स्व0 मिहीलाल	52	अनु0जाति	–
10	गीता	स्व0 धर्मराज	32	अनु0जाति	–
11	सीमा	रामचन्द्र	32	अनु0जाति	–
12	राजू	मन्ना	32	अनु0जाति	–
13	अजय	सिद्धनाथ	28	अनु0जाति	–
14	विजय	सिद्धनाथ	23	अनु0जाति	–
15	नन्दलाल	रामदुलारे	42	अनु0जाति	–
16	जितेन्द्र	भीखालाल	32	अनु0जाति	–
17	दिनेश कुमार	स्व0 सुरजी	45	अनु0जाति	–
18	गोविन्द कुमार	रामशंकर	40	अनु0जाति	–
19	धर्मेन्द्र	रामशंकर	30	अनु0जाति	–
20	फूलमती	ओनप्रकाश	42	पिछड़ी जाति	–
21	मिथुन	शिवकमल	30	पिछड़ी जाति	–
22	पम्मी	सर्वेश	25	अनु0जाति	–
23	कैलाश	शिवकमल	35	पिछड़ी जाति	–
24	नीलम	रामनरेश	35	अनु0जाति	–
25	दयाशंकर	राम खेलावन	58	पिछड़ी जाति	–
26	राजू	रामगुलाम	33	अनु0जाति	–
27	सीताराम	स्व0 कन्हई	28	अनु0जाति	–
28	सिया दुलारी	काशी पत्नी स्व0 मंगलू	28	अनु0जाति	–
29	राहुल	स्व0 मंगलू	27	अनु0जाति	–
30	कमलेश	सुकरू	40	अनु0जाति	–
31	सीता	स्व0 राजीवन लाल	34	अनु0जाति	–
32	कान्ती	स्व0 कल्लू	32	अनु0जाति	–
33	प्रेमा	स्व0 बुद्धा	34	अनु0जाति	–
34	यदुनन्दन	स्व0 श्यामलाल	45	पिछड़ी जाति	–
35	अमित	यदुनन्दन	30	पिछड़ी जाति	–

यशपाल यादव
लेखपाल ग्राम
तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ
दिनांक

ग्राम विकास अधिकारी

खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनी नगर, लखनऊ

तहसीलदार
सरोजनी नगर, लखनऊ

8/10/21
उपजिलाधिकारी
सरोजनी नगर-लखनऊ

क्र0 स0	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	जाति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
36	अनुज	यदुनन्दन	26	पिछड़ी जाति	–
37	मनोज	स्व रामस्वरूप	30	अनु0जाति	–
38	जगतपाल	केवल लाल	42	अनु0जाति	–
39	कुलदीप	केवल लाल	34	अनु0जाति	–
40	विकास रावत	सुंदरलाल	30	अनु0जाति	–
41	अंकुल रावत	श्यामलाल	31	अनु0जाति	–
42	श्यामा	स्व0 जोगाई	45	अनु0जाति	–
43	मनोज	वीरपाल	25	पिछड़ी जाति	–
44	रामप्रसाद	छोटेलाल	43	पिछड़ी जाति	–
45	पंकज	रामसागर	35	अनु0जाति	–
46	बृजेश चन्द्र	चन्द्रशेखर	22	अनु0जाति	–
47	सर्वेश	चन्द्रशेखर	25	पिछड़ी जाति	–
48	विनोद	चन्द्रशेखर	30	पिछड़ी जाति	–
49	परशुराम	गंगाप्रसाद	45	अनु0जाति	–
50	संदीप	परशुराम	30	अनु0जाति	–
51	रजनीश	परशुराम	26	अनु0जाति	–
52	इन्द्रजीत	परशुराम	24	अनु0जाति	–
53	सुमन	विजय	39	अनु0जाति	–
54	अर्जुन	ईश्वरी	25	अनु0जाति	–
55	रामस्वरूप	धन्ना	63	अनु0जाति	–
56	अनिल कुमार	रामस्वरूप	35	अनु0जाति	–
57	अमित	रामस्वरूप	30	अनु0जाति	–
58	राम खेलावन	स्व0 पुत्ती	65	अनु0जाति	–
59	कंचन	स्व0 अजीत	32	अनु0जाति	–
60	प्रेम	महेश	24	पिछड़ी जाति	–
61	मोनू	राम औतार	29	अनु0जाति	–
62	सोनू	बैजनाथ	25	अनु0जाति	–
63	शिवकुमार	गंगा प्रसाद	35	अनु0जाति	–
64	वीरेन्द्र	बुद्धा	30	अनु0जाति	–
65	राजेन्द्र कुमार	बुद्धा	28	अनु0जाति	–
66	विनोद	स्व0 दुलारे	62	अनु0जाति	–
67	संजय	छेदीलाल	50	अनु0जाति	–
68	चन्द्रशेखर	सुखदेव	55	अनु0जाति	–
69	सरवन	सुग्गी	30	पिछड़ी जाति	–
70	रिंकू	छोटेलाल	25	अनु0जाति	–
71	रामशंकर	श्यामलाल	50	अनु0जाति	–
72	आशीष रावत	श्यामलाल	35	अनु0जाति	–
73	शांति	चमोले	38	अनु0जाति	–
74	अनीता	राकेश	30	अनु0जाति	–
75	राहुल	सजीवन	30	अनु0जाति	–

विशाल यादव
लेखपाल ग्राम
तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ
दिनांक

राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार
सरोजनी नगर, लखनऊ

तहसीलदार
सरोजनी नगर, लखनऊ

(डॉ. संचिता ...)
उपजिलाधिकारी
सरोजनी नगर-लखनऊ

क0 स0	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	जाति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
76	चन्द्रावती	रामखेलावन	75	अनु0जाति	–
77	मालती	स्व0 जयकरन	43	अनु0जाति	–
78	छोटेलाल	बिन्दा	62	अनु0जाति	–
79	गुरी(यदुनन्दन)	स्व0 जोधा	55	पिछड़ी जाति	–
80	राजेश	रघुवीर	30	पिछड़ी जाति	–
81	बबलू	स्व0 बचन उर्फ बचनू	40	अनु0जाति	–
82	संतराम	स्व0 बचन उर्फ बचनू	45	अनु0जाति	–
83	फूलमती	स्व0 रामचरन	46	अनु0जाति	–
84	संदीप	हरिशंकर	29	अनु0जाति	–
85	भीखालाल	राधेलाल	56	अनु0जाति	–
86	रामसेवक	भगौती	42	अनु0जाति	–
87	दिलीप	स्व0 सुर्जी	42	अनु0जाति	–
88	रामजीवन	भगौती प्रसाद	45	अनु0जाति	–
89	रामपाल	दुलारे	56	अनु0जाति	–
90	नन्हा	रामशंकर	34	अनु0जाति	–
91	मालती	स्व0 चंदा	40	अनु0जाति	–
92	राकेश	सुकरू	45	अनु0जाति	–
93	सुनील	रामजीवन	41	पिछड़ी जाति	–
94	रामसागर	भाऊ	30	अनु0जाति	–
95	सोनू	ईश्वरी	52	अनु0जाति	–
96	महेश	स्व0 सुन्दरलाल	46	अनु0जाति	–
97	कल्लू	भुईयादीन	37	पिछड़ी जाति	–
98	राम औतार	देवीदीन	56	पिछड़ी जाति	–
99	राम चन्द्र	रामऔतार	45	पिछड़ी जाति	–
100	सतसेवक	दुर्गा	45	पिछड़ी जाति	–
101	जगजीवन	दुर्गा	40	पिछड़ी जाति	–
102	पवन	दुर्गा	32	पिछड़ी जाति	–
103	बैजनाथ	पन्ना	62	अनु0जाति	–
104	जमुना देवी	स्व0 मैढ़ीलाल	50	अनु0जाति	–
105	मुल्कराज	रामसहाय	50	पिछड़ी जाति	–
106	मंगला	स्व0 मंगल	65	अनु0जाति	–
107	गेंदालाल	बाबूलाल	42	अनु0जाति	–
108	रामविलास	गजराज	44	अनु0जाति	–
109	बुद्धा	गूंगे	65	अनु0जाति	–
110	बुद्धिलाल	रामप्रसाद	55	अनु0जाति	–
111	बेचालाल	छोटेलाल	50	पिछड़ी जाति	–
112	शिवमंगल	केशन	35	अनु0जाति	–
113	भरोसे	छेदीलाल	40	अनु0जाति	–
114	प्रेमशंकर	रामेश्वर	40	अनु0जाति	–

वैशाली यादव
लेखपाल ग्राम
तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ
दिनांक

राजस्व निरीक्षक

तहसीलदार
सरोजनी नगर, लखनऊ

8/10/24
(डॉ० संजय कुमार वर्मा)
उपजिलाधिकारी
सरोजनी नगर, लखनऊ

क्र0 स0	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	जाति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
115	प्रकाश	कालीदीन	63	अनु0जाति	–
116	बराती	बाबूलाल	50	अनु0जाति	–
117	सविता	विजय पाल पुत्री कैलाश	35	अनु0जाति	–
118	बेचालाल	लक्ष्मीनरायन	50	पिछड़ी जाति	–
119	छोटेलाल	मेवालाल	52	पिछड़ी जाति	–
120	राजू	राधेश्याम	47	अनु0जाति	–
121	संजू	राधेश्याम	41	अनु0जाति	–
122	अन्नू	स्व0 फूलचन्द्र	40	अनु0जाति	–
123	विशम्भर	लाला	32	अनु0जाति	–
124	बाबू	लाला	39	अनु0जाति	–
125	केवल लाल	तिवारी लाल	63	अनु0जाति	–
126	बच्चू लाल	तिवारी लाल	50	अनु0जाति	–
127	सजीवन लाल	तिवारी लाल	46	अनु0जाति	–
128	सुंदर लाल	तिवारी लाल	60	अनु0जाति	–
129	श्यामलाल	तिवारी लाल	59	अनु0जाति	–

लेखपाल
सरोजनीनगर, लखनऊ।

सचिव
ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी
सरोजनीनगर, लखनऊ।

खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ।

तहसीलदार
सरोजनीनगर, लखनऊ।

उपजिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ।

लेखपाल ग्राम.........
तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ
दिनांक

तहसीलदार
सरोजनी नगर, लखनऊ

(डॉ॰ सचिन कुमार …)
उपजिलाधिकारी
सरोजनी नगर-लखनऊ

संलग्नक 03

महोदय

कार्यालय उपजिलाधिकारी तहसील सरोजनी नगर लखनऊ के पत्रांक 1105 /एस०टी० / एस०डी०एम० / 2024 दिनाँक 08/11/2024 बावत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे योजित ओ०ए० संख्या 602 /2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य मे दिये गये आदेशों के अनुपालन में ग्राम गढी चुनौटी की गाटा संख्या 513, 565, 249 का सीमाँकन कर रिपोर्ट / आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये उक्त आदेश के क्रम में ग्राम गढी चुनौटी की गाटा सं: 513, 565, 249 की पैमाइश का नजरी नक्शा सहित आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

11-11-2024
ले० सरोजनी नगर

11/11/2024
R.I (BAN)

नजरी नक्शा

ग्राम- गढ़ी चुनौटी
परगना- बिजनौर
तहसील- सरोजनीनगर
जिला - लखनऊ

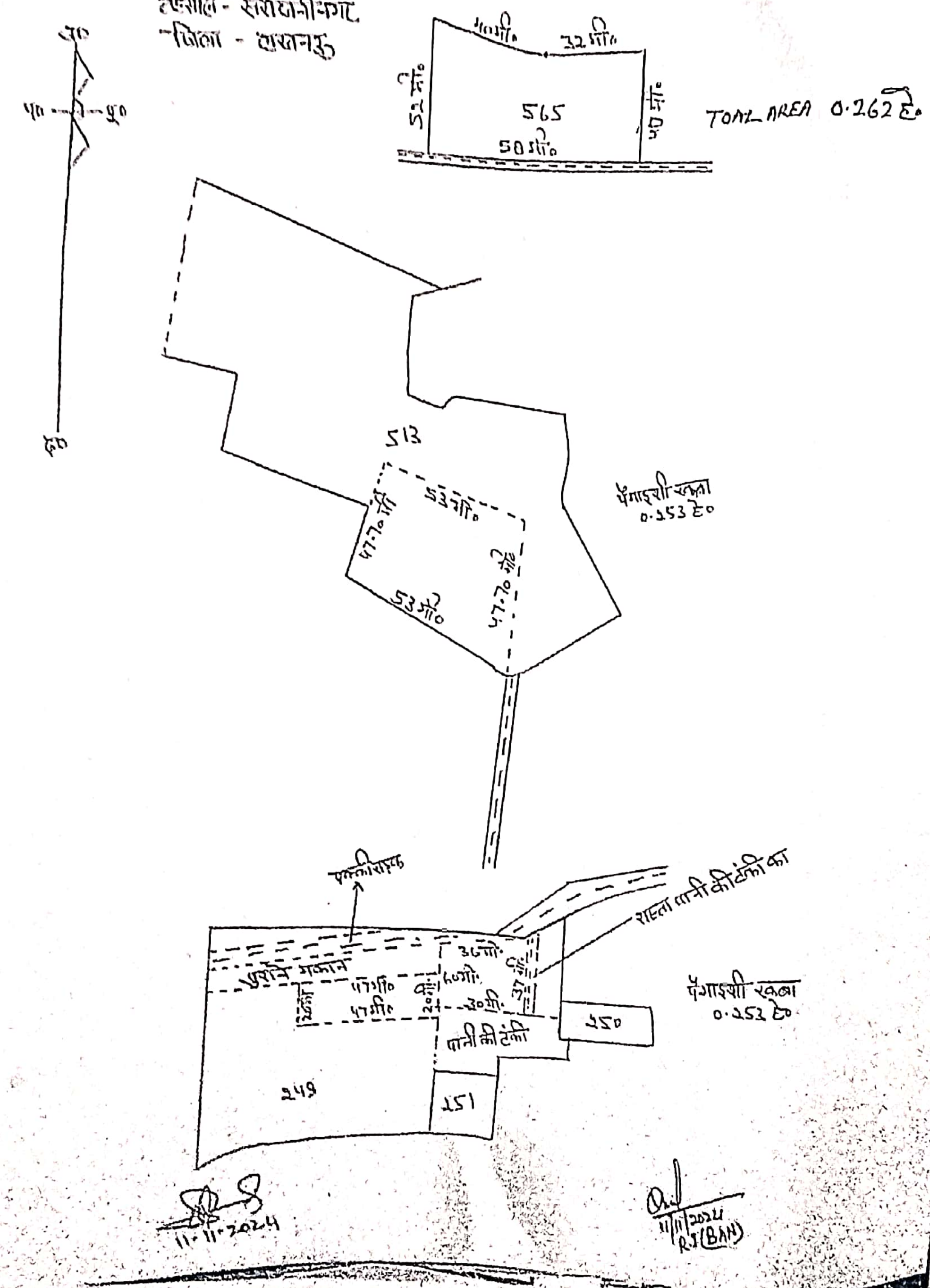

11.11.2024

R.I.(BAN)

ANNEXURE -A1

संख्या-1/ /38-4099(99)/144/2024

प्रेषक,

उमाकान्त सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2024

विषयः- जनपद लखनऊ के विकास खण्ड-सरोजनी नगर की ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी में चाँदेवाबा तालाब पर अतिक्रमण से विस्थापित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1446/ग्रा0आ0अनु0/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2024-25, दिनांक-22 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश के क्रम में जनपद-लखनऊ के विकास खण्ड-सरोजनी नगर की ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी में चाँदेवाबा तालाब पर अतिक्रमण से विस्थापित हो रहे 145 परिवारों में से 129 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018 के प्रस्तर-2(7.1) में विहित प्राविधानों के तहत विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड-सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में चाँदेवाबा तालाब पर अतिक्रमण से विस्थापित हो रहे 129 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत <u>एक-एक आवास</u> स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमाकान्त सिंह),
उप सचिव।

संख्या-1/793568 (1), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1596/मु०मं०आ०यो०-ग्रा०/129आयास मांग पत्र/2024-25, दिनांक-14 अक्टूबर, 2024 के क्रम में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ।

(3) परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ।

(4) खण्ड विकास अधिकारी, वि०ख०-सरोजनीनगर, लखनऊ।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Uma Kant Singh
Date: 11-11-2024 17:39:03

(उमाकान्त सिंह)
उप सचिव।

संख्या-5, क्र-06

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनीनगर–लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक 1398 /मनरेगा/चां०व०ता०/2024–25 दिनांक– 14/11/2024

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन हेतु ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी परगना विजनौर तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ की गाटा संख्या–268 रकवा 36.9090 तालाब की भूमि पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है–

क्र०	विन्दु	कार्यवाही
1	तालाब को तालाब के स्वरूप में परिवर्तन किये जाने हेतु समतल तथा पटे हुये भाग की खुदाई कराना एवं तालाब के चुतुर्दिक तटबन्धों का निर्माण।	मनरेगा एवं राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत तालाब की खुदाई का कार्य करवाते हुये तालाब स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु कार्य कराया जा रहा है।(फोटो संलग्न है)
2	तालाब के किनारे या कम गहराई वाले स्थानों पर उगी हुयी झाड़ियों व वनस्पतियों को हटाना एवं जलकुम्भियों को निकलवाकर नियमानुसार निस्तारण करना।	ग्राम पंचायत द्वारा जलकुम्भी सफाई कार्य नियमित रूप से कराया जा रहा है। (फोटो संलग्न है)
3	तालाब के आस–पास स्थित ग्राम की आबादी के घरों निकलने वाले अपशिष्ट जल को तालाब से प्रवाहित होने के रोकना एवं नगवा नाले में प्रवाहित होने से पूर्व एसटीपी आदि के माध्यम से शुद्धिकरण के पश्चात ही नगवा नाले में प्रवाहित किये जाने की व्यवस्था करना।	पूर्व में 05 सोख्ता गढ्ढा का निर्माण कराया गया था वर्तमान में 11 सोख्ता गढ्ढों का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार कुल 15 सोख्ता गढ्ढे के माध्यम से घरों से निकलने वाले जल निकासी को सीधे तालाब में जाने से रोका गया है तथा इसके अतिरिक्त Three Layerd waste stabilistion pond/waste stabiusaton pond का निर्माण कराया गया जिससे ग्रे वाटर को शुद्ध करते हुये जल के अन्य स्रोत से मिलाया गया है। इस प्रकार कोई भी ग्रे वाटर तालाब के पानी में नही मिल रहा है। (फोटो संलग्न है)
4	तालाब की भूमि पर आवासित गरीब/भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार अतिशीघ्र आवास आवंटन की व्यवस्था करना।	तालाब की भूमि पर निवासरत कुल 145 परिवारों को विस्थापित किया जाना है इनको आवास उपलब्ध कराने हेतु पात्रता की जांच करायी गयी। कुल 129 परिवार आवास हेतु पात्र पाये गये। पात्र 129 परिवारों को उप सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या–1/793508/38–4099(99)/144/2024 दिनांक–11 नवम्बर, 2024 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के कम में 129 पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जा रही है।

अतः उक्त के कम में की गयी कार्यवाही से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,
14/11/24

खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनीनगर–लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ।

खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनीनगर–लखनऊ।

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।
चांदे बाबा तालाब खुदाई कार्य

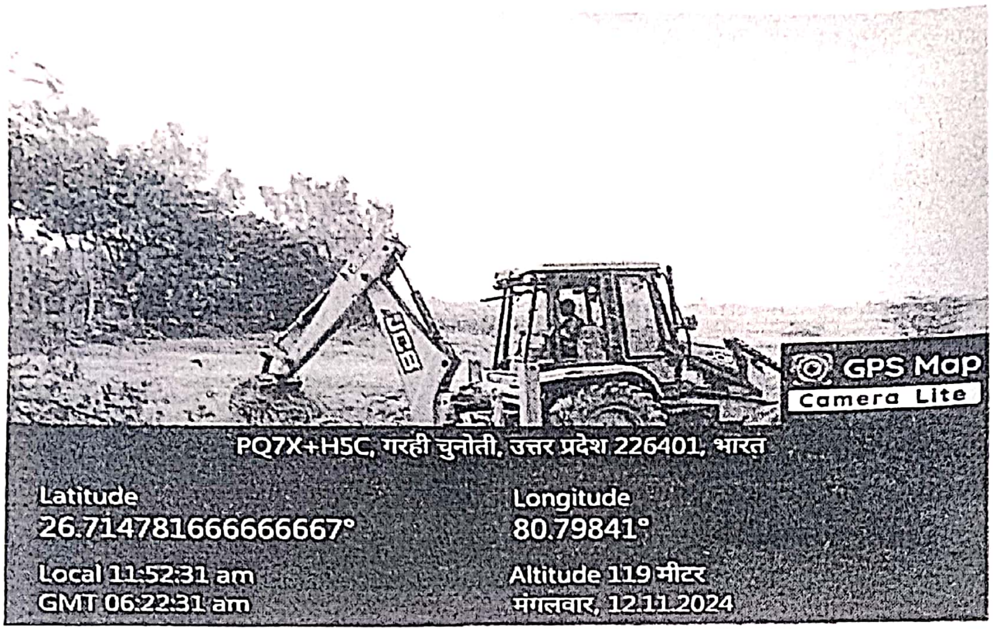

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।
चांदे बाबा तालाब खुदाई कार्य

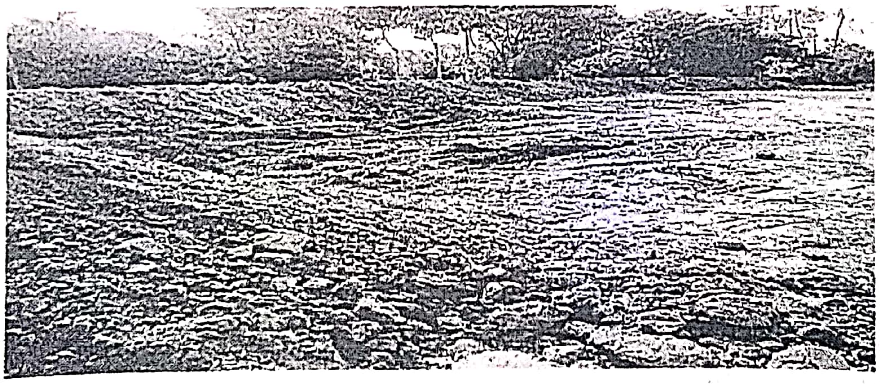

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।
चांदे बाबा तालाब खुदाई कार्य

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।
चांदे बाबा तालाब खुदाई कार्य

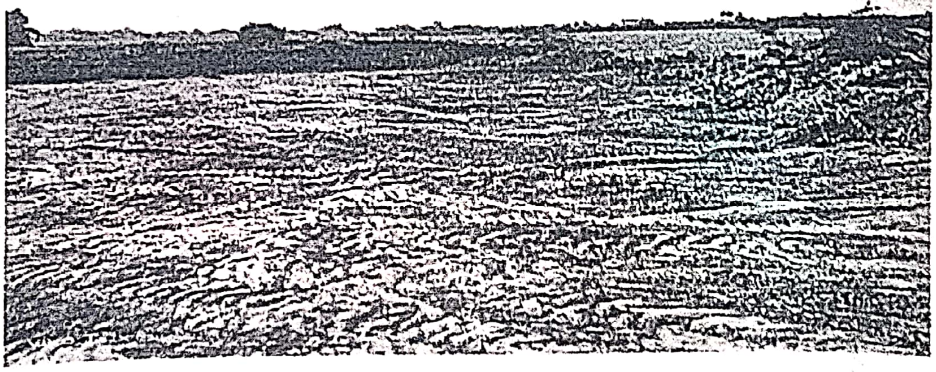

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

चांदे बाबा तालाब से जलकुम्भी सफाई कार्य

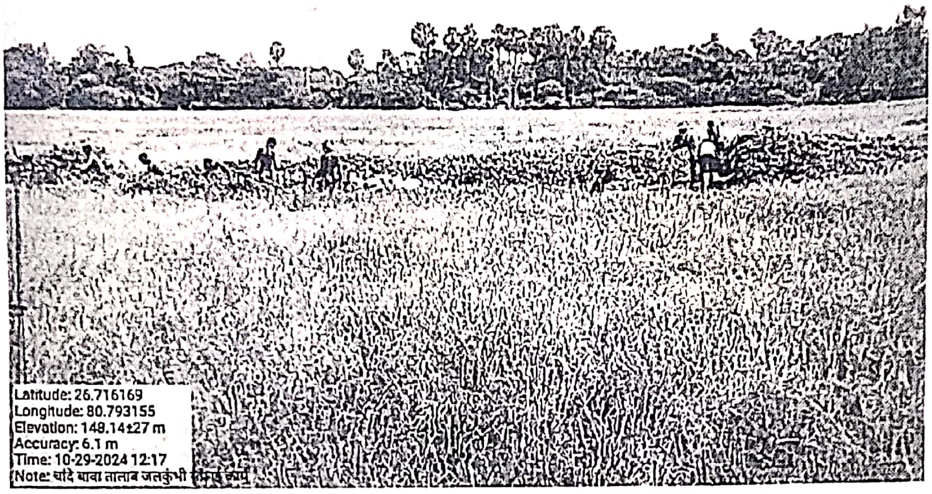

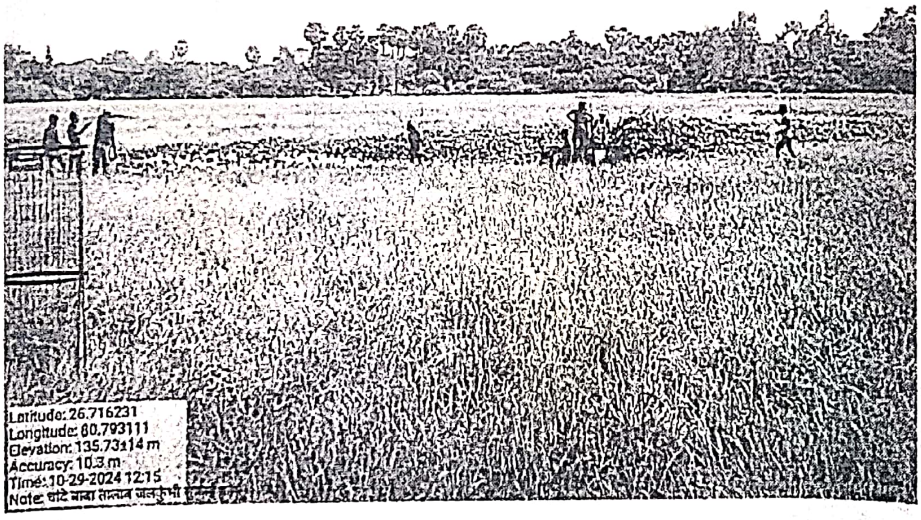

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।
चांदे बाबा तालाब से जलकुम्भी सफाई कार्य

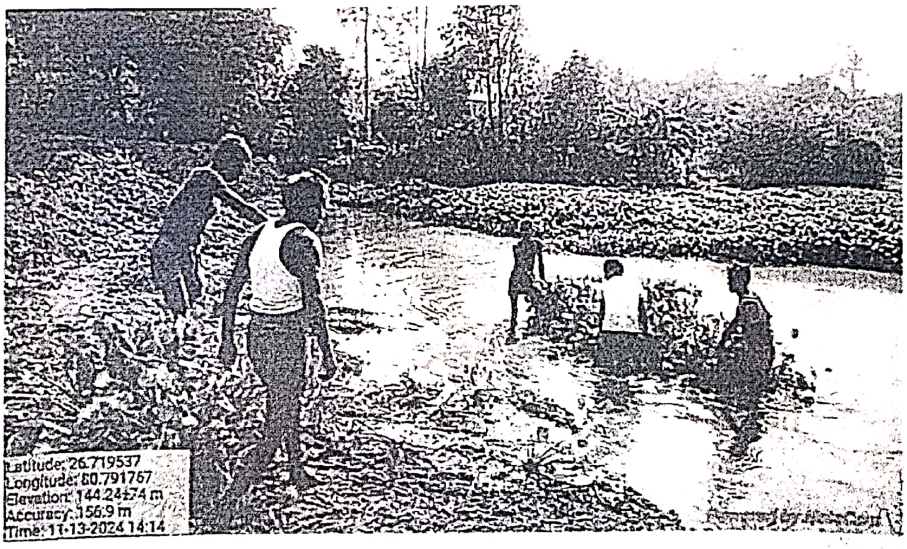

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।
चांदे बाबा तालाब से जलकुम्भी सफाई कार्य

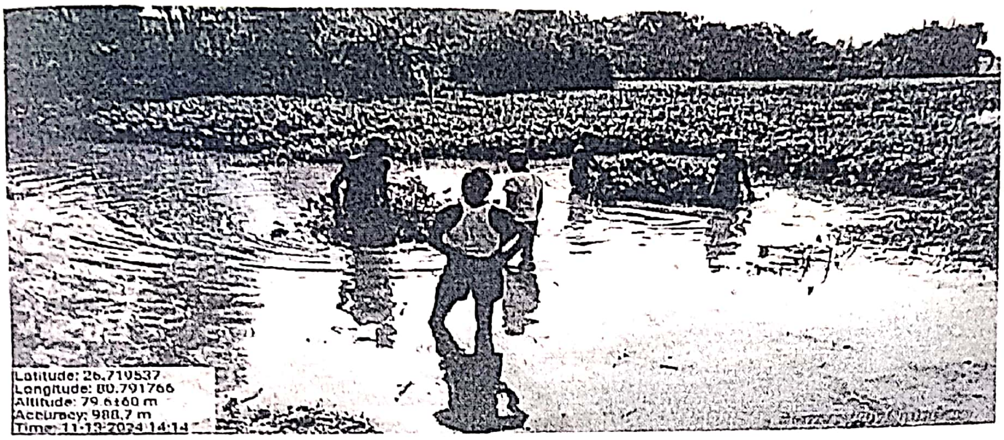

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।
चांदे बाबा तालाब से जलकुम्भी सफाई कार्य

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।
चांदे बाबा तालाब से जलकुम्भी सफाई कार्य

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

चांदे बाबा तालाब से जलकुम्भी सफाई कार्य

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

श्री मलखान पुत्र स्व0 रामकरन के घर के पास सोक पिट निर्माण

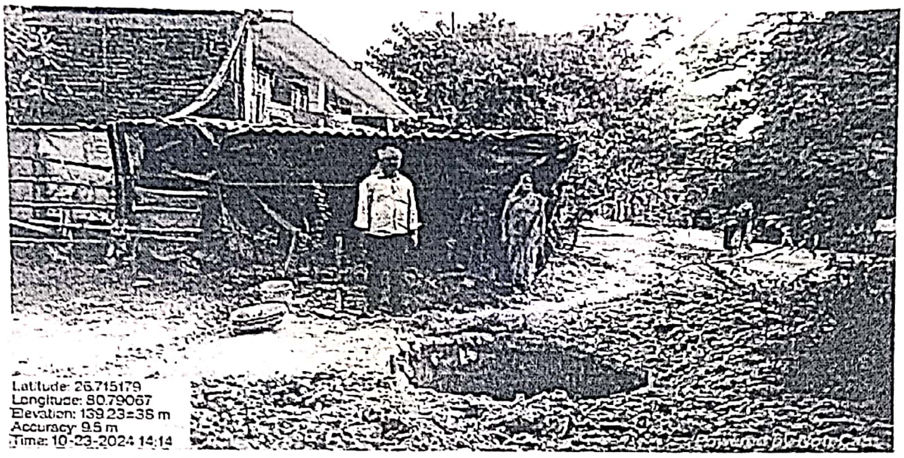

श्री सुनील पुत्र वीरपाल के घर के पास सोक पिट निर्माण

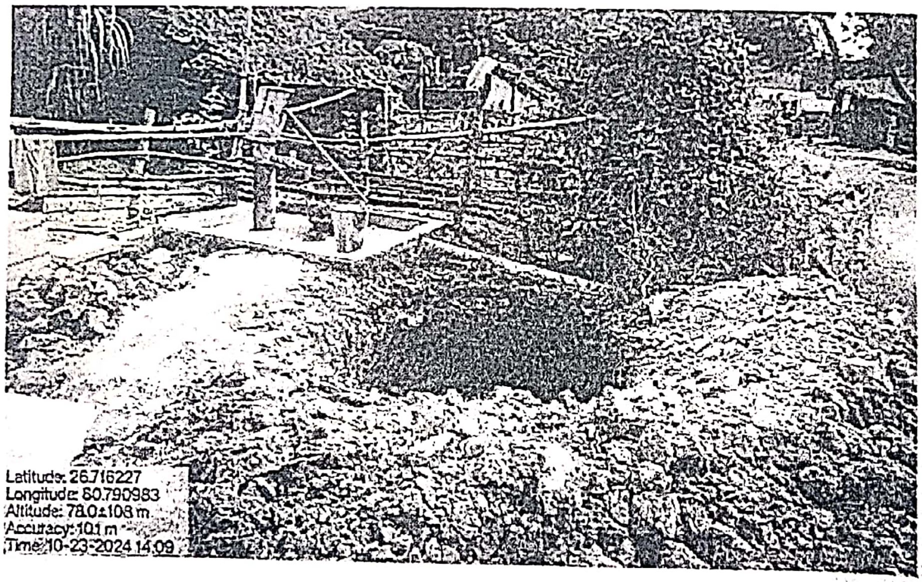

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

श्री मुकेश पुत्र छेदू के घर के पास सोक पिट निर्माण

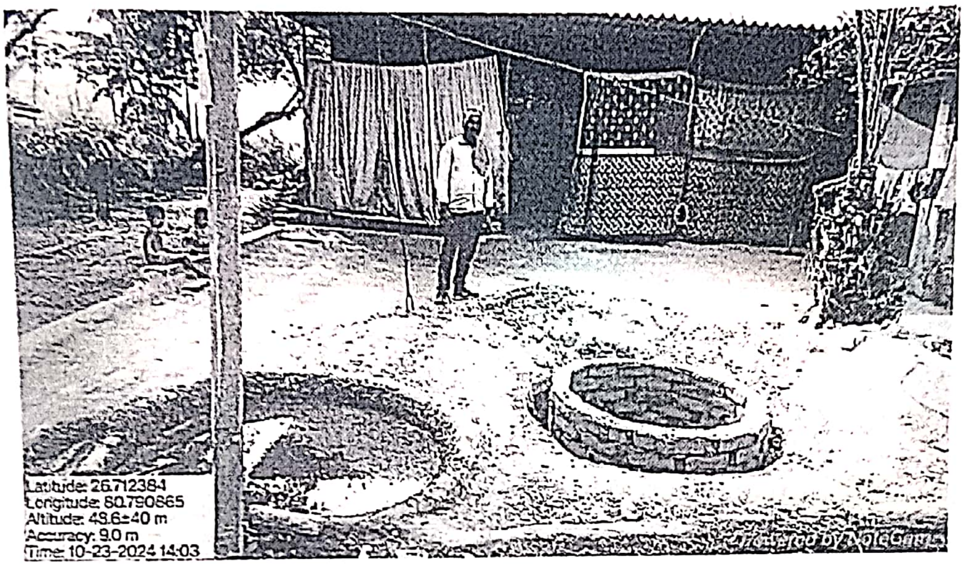

श्री दिनेश पुत्र वाबूलाल के घर के पास सोक पिट निर्माण

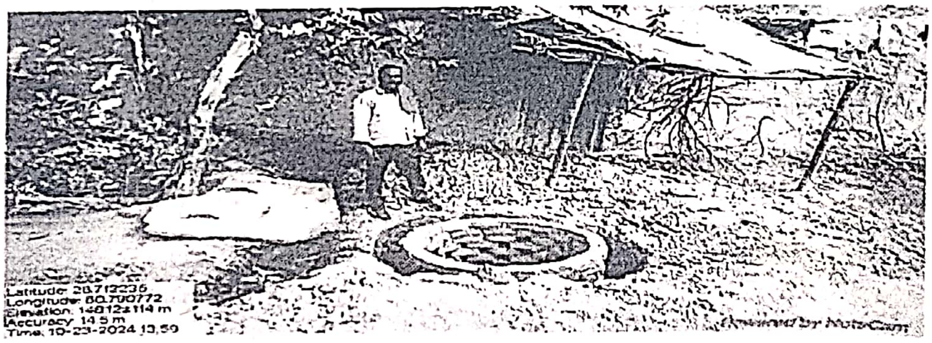

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

श्री रमेश पुत्र स्व० बाबूलाल के घर के पास सोक पिट निर्माण

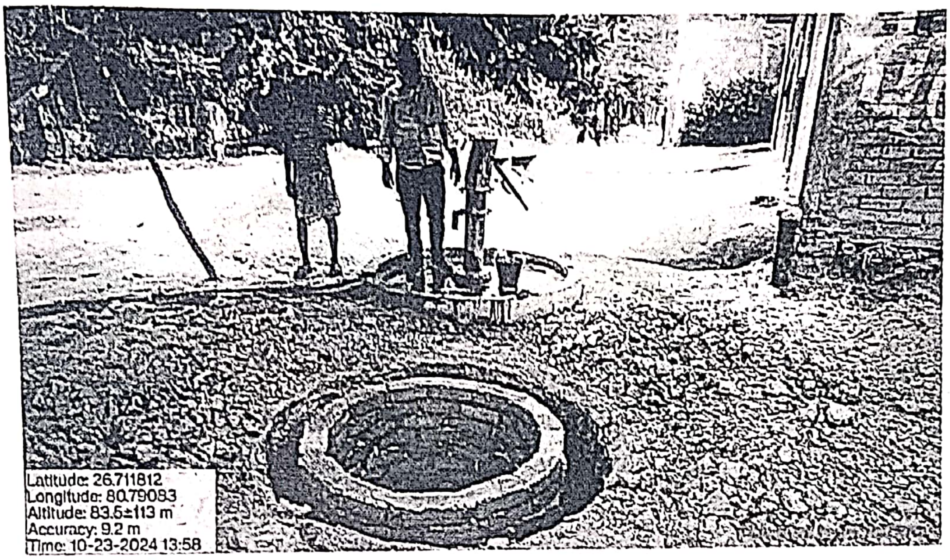

श्री संदीप पुत्र राजाराम के घर के पास सोक पिट निर्माण

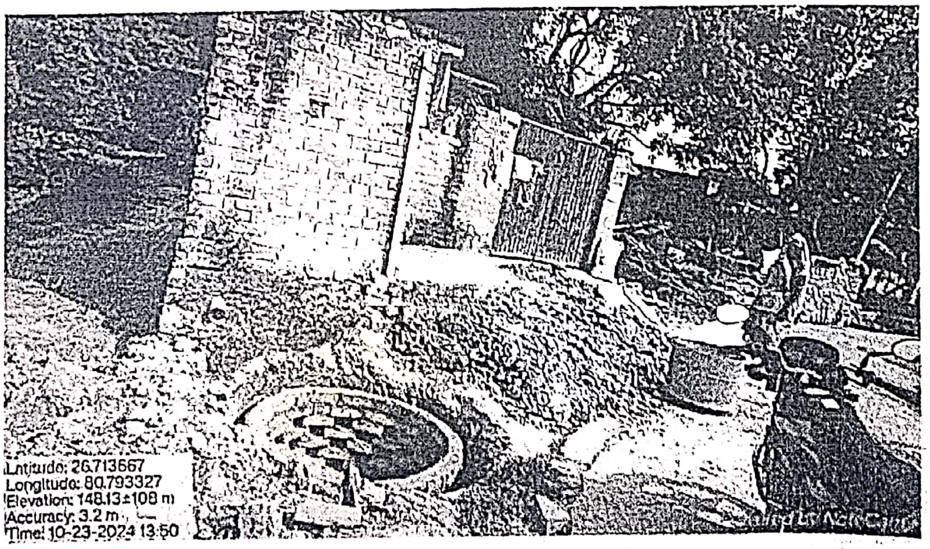

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

श्री बुद्धीलाल पुत्र तोता के घर के पास सोक पिट निर्माण

श्री विजय पात्र पुत्र बैजनाथ के घर के पास निर्माण

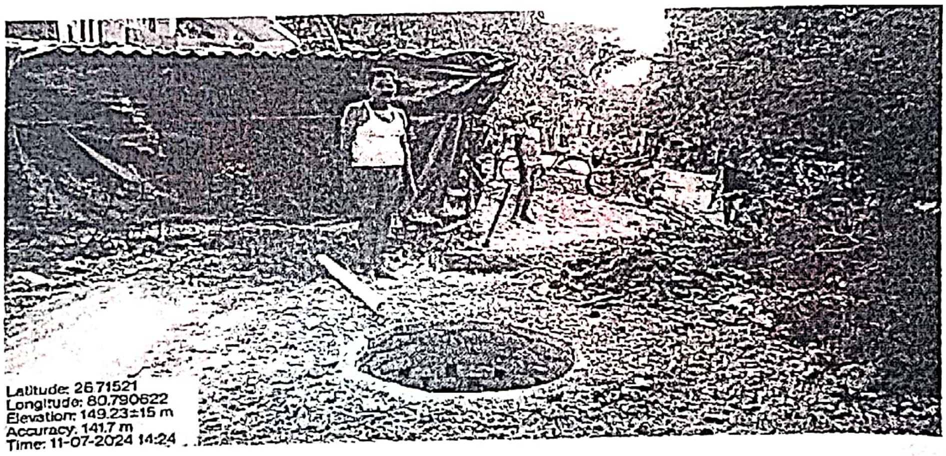

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

श्री विनोद पुत्र रामदुलारे के घर के पास सोक पिट निर्माण

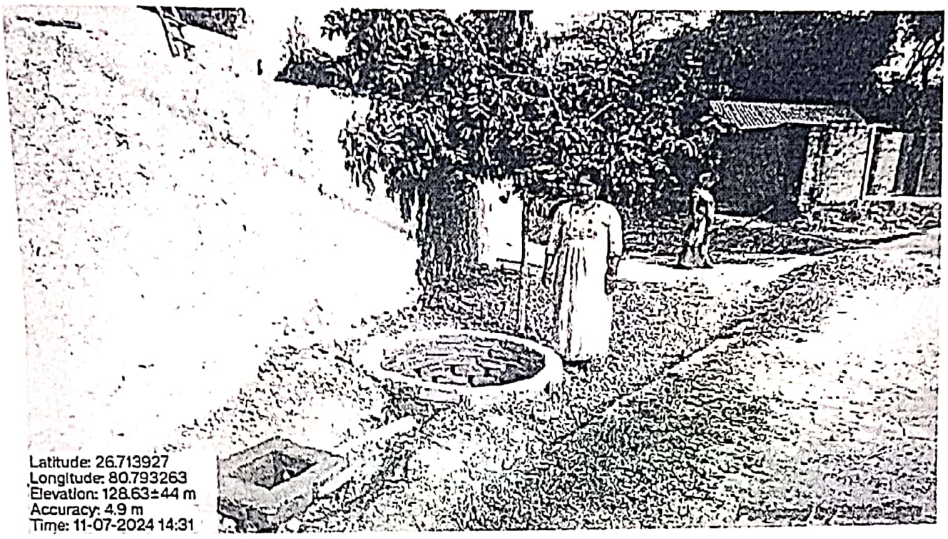

श्री रामपाल पुत्र रामआसरे के घर के पास सोक पिट निर्माण

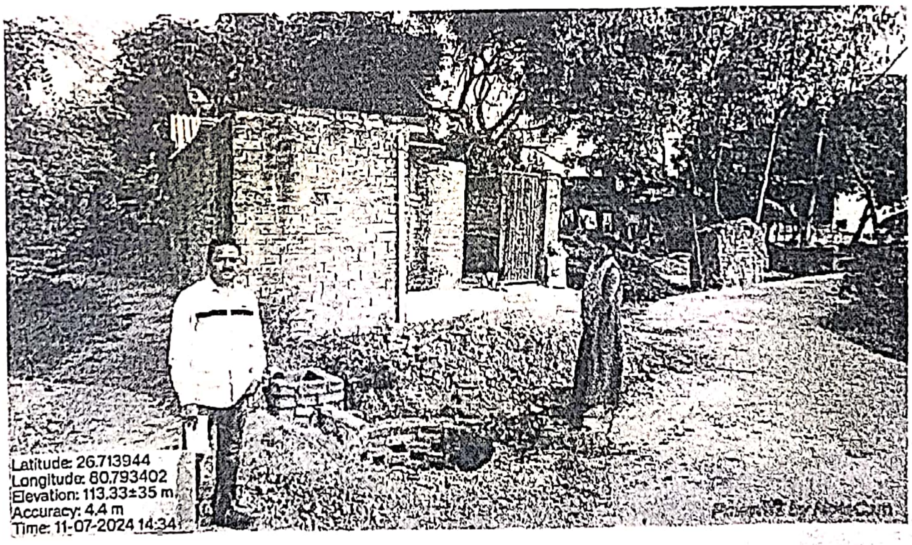

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

श्री रविकांत पुत्र रामपाल के घर के पास सोक पिट निर्माण

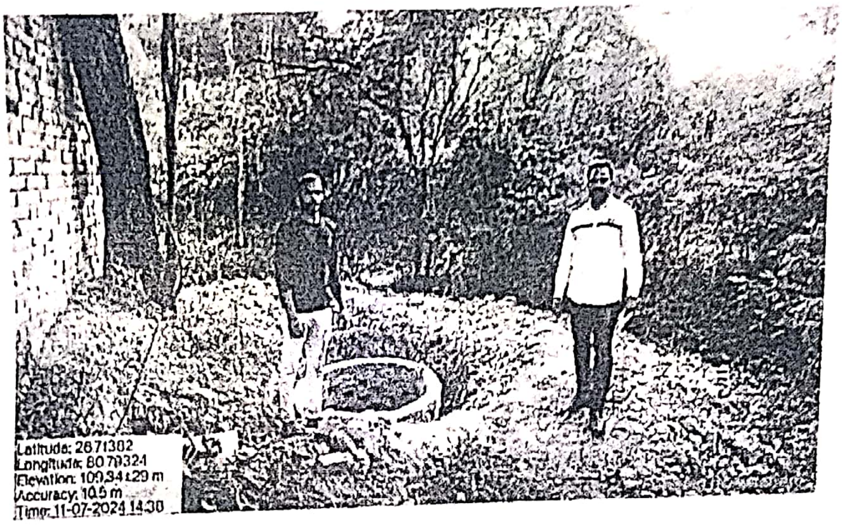

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

वाटर ट्रीटमेंट पॉण्ड निर्माण

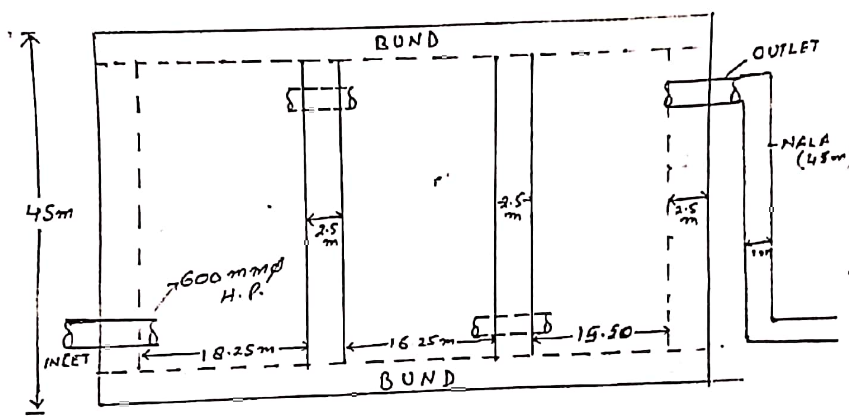

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

वाटर ट्रीटमेंट पॉण्ड निर्माण

ग्राम पंचायत–गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड–सरोजनीनगर, लखनऊ।

वाटर ट्रीटमेंट पॉण्ड निर्माण

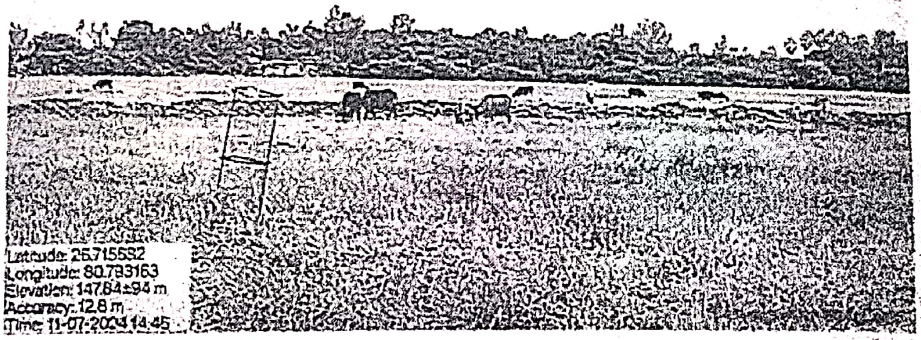

संलग्नक- 07

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक- 3725 /35-1 लखनऊ, दिनांक,नवम्बर, 16/11/ 2024.

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के संबंध में।

संदर्भः– संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, उ0प्र0, शासन की पत्र संख्या–रिट–38/81–4–2024 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुकम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त विषयक प्रकरण से संबंधित आख्या/रिपोर्ट समस्त संबंधित विभागों से संकलित कर इस कार्यालय के पत्रांक–999/35–1 दिनांक 06.08.2024 द्वारा आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः उक्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक– / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, र्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, उ0प्र0, शासन को उक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक ९९९ /३८-१ लखनऊ, दिनांक, अगस्त, 06/8/ 2024.

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या—602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या—602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में अनुरोध पूर्वक अवगत कराना है कि उक्त विषयक प्रकरण से संबंधित समस्त विभागों से रिपोर्ट/आख्या संकलित कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

06.8.24

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

संख्या / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केंस, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि—संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—4, उ0प्र0, शासन लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

Green belt by forest Dept.; UI. संलग्नक-3

"चाँदे बाबा तालाब" के विकास से संबंधित वन विभाग की आख्या व अद्यतन स्थिति

उक्त वन प्रभाग लखनऊ के सरोजनीनगर रेंज अंतर्गत "चाँदे बाबा का तालाब" गढी चुनौटी लखनऊ में तालाब के डेवलपमेन्ट व पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास कराने हेतु डी0एफ0ओ0, लखनऊ द्वारा नेतृत्व करते हुए एक खुली सभा का का आयोजन किया गया था, जिसमें वन विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग, नगर निगम, खण्ड विकास के अधिकारीगण व श्री उत्कर्ष सिंह चौहान सहित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया। सभा में उपस्थित उक्त विभाग के समस्त अधिकारीगण से विचार–विमर्श कर संबंधित विभागों से तालाब के विकास हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण सत्र में 1000 आयरन ट्री–गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण करने हेतु निर्देशित किया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज ने अपने पत्रांक–227/29 दिनांक 12.10.2023 (संलग्नक–1) द्वारा अवगत कराया गया कि "चाँदे बाबा का तालाब" में संबंधित विभागों एवं स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष लिये गये निर्णय के अनुसार माह जुलाई, 2023 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना हैं कि जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश पत्र संख्या–3269/एसटी–एडीएम(प्रशा0)/2023 दिनांक 27.10.2023 (संलग्नक–2) के क्रम में वन विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करा लिया गया है, जिसकी सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर ने अपने पत्रांक–266/35–1 दिनांक 31.10.2023 (संलग्नक–3) द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 1000 ट्री–गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण निम्न प्रकार पूर्ण कर लिया गया है–

क0सं0	आयरन ट्री–गार्ड में रोपित प्रजाति	रोपित किये गये पौधों की संख्या
1	अर्जुन	504
2	जामुन	195
3	सेमल	185
4	कचनार	86
5	पीपल	10
6	बरगद	10
7	पाकड़	10
	योग:–	1000 पौधे

Scanned with OKEN Scanner

उक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज को इस कार्यालय के पत्रांक–54 / टी0सी0 / 29–1 दिनांक 29.07.2024 द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज के माध्यम से "चांदे बाबा तालाब" परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की कलर्ड फोटोग्राफ सहित अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके कम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट के आधार पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज ने अपने पत्रांक–889 / 35–1 दिनांक 01.08.2024 (संलग्नक–4) द्वारा अवगत कराया गया है कि "चांदे बाबा तालाब" परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की अद्यतन स्थित (सफलता प्रतिशत) सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार आयरन ट्री–गार्ड में उपर्युक्त तालिका के अनुसार रोपित पौधों की सफलता 100 प्रतिशत है। इस प्रकार खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वन विभाग द्वारा अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनीनगर रेन्ज लखनऊ

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मोहनलालगंज
अवध वन प्रभाग,लखनऊ

ANNEXURE 2

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT [illegible] (SURFACE WATER)

Ref no-27938112/CENTRAL/2024 Date03/10/2024

1- Sample Location: Chande Baba Talab (West Side)
2- District: Lucknow
3- Address: vill- Garhi Chunauti, sarojini nagar, Lucknow
4- Sample Source: Pond
5- Type of sample : Surface Water
6- Sample Collected By : Vivek Kumar Mishra, LA
7- Odour : None
8- Quantity and Packing : 2 Lit. plastic Jerrycan, 1 DO Glass Bottle,1 MPN Glass Bottle
9- Date of Sample Collection : 27/08/2024
10- Analyis Indented by : RO Lucknow
11- Date of sample receipt in Lab : 27/08/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.30	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	50	5-10000 Hazen
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	66.0	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	516.0	5.0 -10000 mg/l
Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	582.0	5.0 -15000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	120000	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	68000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	19.0	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	88.0	4.0 -1000 mg/l
D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	3.86	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - NA

Analyzed by
[Rajesh Agarwal (SA), Iti Singh (JRF)]

Authorized by
Reeta Keshav
Digitally signed by Reeta Keshav
Reeta Keshav (ASO)

RAM GOPAL
Digitally signed by RAM GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-27938098/CENTRAL/2024 Date:03/10/2024

1- Sample Location: Chando Baba Talab (East Side)
2- District: Lucknow
3- Address: vill- Garhi Chunauti, sarojini nagar , Lucknow
4- Sample Source: Pond
5- Type of sample : Surface Water
6- Sample Collected By : Vivek Kumar Mishra, LA
7- Odour : None
8- Quantity and Packing : 2 Lit. plastic Jerrycan, 1 DO Glass Bottle,1 MPN Glass Bottle
9- Date of Sample Collection : 27/08/2024
10- Analyis Indented by : RO Lucknow
11- Date of sample receipt in Lab : 27/08/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.37	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	50	5-10000 Hazen
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	60.0	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	484.0	5.0 -10000 mg/l
Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	544.0	5.0 -15000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	210000	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	78000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	14.0	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	68.0	4.0 -1000 mg/l
D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	4.92	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - NA

Analysed by
[Rajesh Agarwal (SA), Iti Singh (JRF)]

Authorized by
Reeta Keshav
Reeta Keshav (ASO)

RAM GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory